



कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

मध्य प्रदेश स्थित कोषालयों की कार्यप्रणाली पर
वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन
वर्ष 2016-17

विषय सूची

स.क.	विषय	पृष्ठ क्रमांक
i	प्राक्कथन	1
ii	मुख्य अंश	2
iii	भाग-1 : कोषालयों की संरचना/संगठन तथा कार्यप्रणाली एवं प्रबन्धन में सुधार हेतु किये गये प्रयास।	3 - 5
iv	भाग-2 : कोषालयों द्वारा प्रेषित लेखाओं/अभिलेखों के संकलन एवं सत्यापन के दौरान पाई गई कमियां/त्रुटियां तथा अन्य अनियमितताएं	6 - 9
v	भाग-3 : कोषालयों एवं उपकोषालयों के निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आई विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं/कमियाँ।”	10 - 21
vi	परिशिष्ट	22 - 48

प्राक्कथन

राज्य सरकार के सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन तथा शासकीय लेन-देनों के लेखांकन के सम्बन्ध में कोषालय अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोषालय अपने दायित्वों का उचित निर्वहन कर सके, इस हेतु शासन ने संहिताएँ, नियमावलियाँ एवं प्रक्रियाएँ निर्धारित की हैं। कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा इन नियमों तथा प्रक्रियाओं से विचलन के कारण वित्तीय प्रबन्धन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी स्थायी आदेशों की नियमावली (लेखा एवं हकदारी) खण्ड-1 के पैरा 20.17 के अनुसार कोषालयों एवं उपकोषालयों की कार्य प्रणाली पर आधारित वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 तैयार किया गया है। यह वार्षिक प्रतिवेदन निम्नलिखित तीन भागों में है:-

भाग-एक:- कोषालयों की संरचना/संगठन तथा कार्यप्रणाली एवं प्रबन्धन में सुधार हेतु किये गये प्रयास।

भाग-दो:- कोषालयों द्वारा प्रेषित लेखाओं/अभिलेखों के संकलन एवं सत्यापन के दौरान पाई गई कमियां /त्रुटियां तथा अन्य अनियमितताएं।”

भाग-तीन:-कोषालयों एवं उपकोषालयों के निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आई विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं/कमियाँ।”

राज्य सरकार द्वारा सभी कोषालय कम्प्यूटरीकृत किये गये है। वर्ष 2011-12 से कोषालयों में केन्द्रीयकृत राज्य वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (C-SFMS) लागू है। कोषालयों के कम्प्यूटरीकरण से उनकी दक्षता में सुधार हुआ है।

इस प्रतिवेदन के प्रकाशन का उद्देश्य कोषालयों की कार्य प्रणाली में सुधार कर राज्य के वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करना है।

मुझे विश्वास है कि यह समीक्षा प्रतिवेदन कोषालयों के परिचालन में होने वाली अनियमितताओं तथा कमियों को दूर करने में सहायक होगा।

प्रतिवेदन को और अधिक उपयोगी बनाने के सम्बन्ध में सुझाव आमन्त्रित हैं।

(रुद्रा साहा)

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) प्रथम
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

मध्य प्रदेश स्थित कोषालयों की वर्ष 2016-17 की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा
प्रतिवेदन

मुख्य अंश

मध्य प्रदेश स्थित कोषालयों की वर्ष 2016-17 की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन के मुख्य अंश/प्रमुखताएं निम्नानुसार हैं :-

1. कोषालयों द्वारा मासिक लेखा प्रेषित करने में विलंब/त्रुटिपूर्ण लेखा प्रेषित किया जाना ।
(कंडिका 2.1)
2. कोषालयों के रोकड़ लेखे में दर्ज आर.बी.डी. राशि से संबंधित आर0बी0डी0 पत्रक एव व्ही0डी0एम0एस0 प्राप्त न होना ।
(कंडिका 2.9)
- 3 आर. बी.डी. राशि एवं आर.बी.डी. पत्रक में अंकित राशि में अन्तर
(कंडिका 2.10)
- 4 व्यक्तिगत निक्षेप खातों में ऋणात्मक शेष पाया जाना ।
(कंडिका 2.11)
- 5 सार्वजनिक बैंकों से परिवार पेंशन प्राप्त कर रहे प्रकरणों में अधिक भुगतान होना पाया जाना ।
(कंडिका 3.3.3)
- 6 सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान प्राधिकार पत्रों का निर्धारित अवधि में भुगतान न किया जाना ।
(कंडिका 3.4)
- 7 तीन वर्ष से अधिक समय से अदावाकृत राजस्व जमा की राशियों को व्यपगत न किया जाना ।
(कंडिका 3.7.1)
- 8 तीन वर्ष से अधिक समय से अप्रचलित व्यक्तिगत जमा खातों की राशि को राजस्व निक्षेप के अंतर्गत अंतरण न किया जाना ।
(कंडिका 3.7.2)
- 9 आकस्मिकता निधि से आहरित राशि की प्रतिपूर्ति न होना ।
(कंडिका 3.12(ii))
- 10 मुद्रांको का आवश्यकता से अधिक भण्डारण रखा जाना ।
(कंडिका 3.14)
- 11 कोषालयीन कम्प्यूटर प्रणाली के साफ्टवेयर में पाई गई कमियां ।
(कंडिका 3.15 एवं 3.16)

भाग-एक

प्रस्तावना, संरचना / संगठन तथा कोषालयों
की कार्यप्रणाली एवं प्रबंधन में गुणात्मक सुधार
हेतु की गई पहल

कोषालयों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन


वर्ष 2016-17

भाग-1

1.1 प्रस्तावना

मध्य प्रदेश राज्य के सभी कोषालय/उप कोषालय, आयुक्त कोष एवं लेखा म.प्र. भोपाल के प्रशासकीय नियंत्रण में हैं। कोषालय की कार्य प्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने की दृष्टि से संभागीय स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के प्रभार में हैं। प्रत्येक कोषालय एवं उप कोषालय, क्रमशः कोषालय अधिकारी एवं उप कोषालय अधिकारी के प्रभार में रहते हैं। सभी कोषालय अपने तथा अधीनस्थ उपकोषालयों के मासिक लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम ग्वालियर को प्रेषित करते हैं।

1.2 संरचना/संगठन



मध्य प्रदेश राज्य में वर्ष 2016-17 में कुल 56 कोषालय एवं 156 उपकोषालय कार्यरत रहे। सभी कोषालय/उप कोषालय, बैंकिंग कोषालय/उपकोषालय के रूप में कार्यरत हैं। वर्ष 2016-17 में 35 कोषालयों एवं 91 उपकोषालयों का निरीक्षण किया गया। (परिशिष्ट संख्या 4)

कोषालयों में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्थिति

वर्ष	स्वीकृत पद	कार्यरत	लेखा कार्य		कम्प्यूटर कार्य	
			प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित	प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित
2016-17	1517	984	376	608	721	263

1.3 कोषालय निरीक्षण में गुणात्मक सुधार

मुख्यालय कार्यालय (नई दिल्ली) के निर्देशानुसार कोषालय निरीक्षण में गुणात्मक सुधार लाने हेतु मध्यप्रदेश स्थित कोषालयों को जोखिम आधारित नमूना निरीक्षण (Risk based sample inspection) के आधार पर विभाजित किया गया। विभाजन का आधार निम्नानुसार है :-

1. कोषालय का वार्षिक लेन-देन,
2. मासिक लेखा विलम्ब से प्राप्त होना,
3. निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रथम पालन प्रतिवेदन प्राप्त न होना अथवा विलंब से प्राप्त होना,

4. निरीक्षण प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकायें,
5. पूर्व में प्रकाशित प्रारूप कंडिकाओं में कोषालयों का शामिल होना,
6. कोषालय के सुरक्षा में लापरवाही के कारण, चोरी की वारदात से शासन को हानि,

उक्त माप दण्डों के आधार पर कोषालयों को नीचे दर्शाई गई तालिका के अनुसार उच्च जोखिम (High Risk), मध्यम जोखिम (Medium Risk) तथा कम जोखिम (Low Risk) के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

कोषालयों का उच्च जोखिम (High risk), मध्यम जोखिम (Medium risk) एवं कम जोखिम (Low risk) के रूप में वर्गीकरण

उच्च जोखिम (High risk) वाले कोषालय		मध्यम जोखिम (Medium risk) वाले कोषालय		कम जोखिम (Low risk) वाले कोषालय	
स.क्र.	कोषालय	स.क्र.	कोषालय	स.क्र.	कोषालय
1	जबलपुर सिटी	1	सिंगरौली	1	रतलाम
2	भोपाल	2	सतना	2	खंडवा
3	जिला इंदौर	3	खरगौन	3	बडवानी
4	रीवा	4	बालाघाट	4	पन्ना
5	सागर	5	होशंगाबाद	5	गुना
6	धार	6	छत्तरपुर	6	नरसिंहपुर
7	ग्वालियर	7	देवास	7	सीधी
8	छिन्दवाड़ा	8	सिवनी	8	टीकमगढ़
9	उज्जैन	9	मुरैना	9	मण्डला
10	इन्दौर सिटी	10	शिवपुरी	10	शहडोल
11	जिला जबलपुर	11	बैतूल	11	श्यापुर
12	मोतीमहल	12	विदिशा	12	झाबुआ
13	विन्ध्यांचल	13	राजगढ़	13	कटनी
14	वल्लभ भवन	14	मण्डला	14	दतिया
		15	सीहोर	15	डिंडोरी
		16	भिण्ड	16	अशोकनगर
		17	रायसेन	17	नीमच
		18	दमोह	18	अनूपपूर
				19	अलीराजपुर
				20	हरदा
				21	बुरहानपुर
				22	उमरिया
				23	शहडोल
				24	आगार मालवा

भाग-दो
लेखों के संकलन एवं सत्यापन के दौरान
पाई गई कमियाँ / विसंगतियाँ

लेखों के संकलन एवं सत्यापन के दौरान पाई गई कमियों/विसंगतियों

2.1 कोषालयों से मासिक लेखा प्राप्ति में विलंब

समस्त कोषालय अधिकारी निर्धारित समयावधि में महालेखाकार कार्यालय को उनके कोषालय के मासिक लेखा प्रेषण हेतु उत्तरदायी हैं।

मासिक लेखे की प्रथम सूची, जिसमें माह की एक तारीख से दस तारीख तक के लेन देन सम्मिलित रहते हैं, उसी माह की सत्रह तारीख तक तथा लेखे की द्वितीय सूची, जिसमें ग्यारह तारीख से माह के अंतिम दिन तक के लेन देनों का समावेश होता है, अगले माह की आठ तारीख तक प्रधान महालेखाकार कार्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिये। उक्त निर्धारित अंतिम तिथि को अवकाश होने की स्थिति में, लेखा अगले कार्यदिवस में प्राप्त हो जाना चाहिये।

समीक्षा में पाया गया है कि वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त कुल 672 लेखों में से 55 लेखे विलम्ब से (01 से 05 दिवस 52 लेखे एवं 06 से 10 दिवस 03 लेखे) प्राप्त हुये कोषालयों द्वारा मासिक लेखा प्रेषण में सामान्यतः 01 से 10 दिनों का विलम्ब किया गया है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट संख्या-1 (अ) से 1(द) में दर्शाया गया है।

2.2 कोषालयों द्वारा मासिक लेखे के साथ भेजी जाने वाली टेक्स्ट फाईल की सी.डी. उचित जांच करके नहीं भेजी जाती है। इस कारण सी.डी. में भेजी गई सभी टेक्स्ट फाईल कभी कभी खुल नहीं पाती हैं और कभी-कभी कोषालय द्वारा एक ही फाइल 2-2 बार सम्मिलित कर भेजी जाती है।

2.3 लेखा माह अक्टूबर 2017 से कोषालयों द्वारा वेतन देयक भौतिक रूप से मासिक लेखों के साथ न भेजे जाने के कारण चालान/शिडयूल इलैक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेजे जा रहे हैं जिसमें जी.पी.एफ. एवं डी.पी.एफ. का पृथक-पृथक वर्गीकरण न होने से अभिदाताओं के खातों में पोस्टिंग करने में कठिनाई होती है।

2.4 मार्च माह से संबंधित मुख्य शीर्ष 8670-104 लेप्स चैकों का विवरण कोषालयों द्वारा प्रायः अप्रैल माह के मासिक लेखों के साथ भेजा जाता है। इस कारण उनका समायोजन संबंधित वित्त वर्ष में नहीं हो पाता, उसके समायोजन के लिए जर्नल एन्ट्री (J.E.) लगानी पड़ती है। अतः मार्च माह के लेखों के साथ 8670-104 के लेप्स चैकों का विवरण भेजा जाना चाहिए।

2.5 मुख्य शीर्ष 2071 पेंशन के बैंक स्कूल में मुख्य शीर्ष 2235 के बैंक स्कूलों को भी प्रायः सम्मिलित किया जाता है। कोषालयों द्वारा मासिक लेखों के साथ भेजे गये एल.ओ.पी. तथा एस. ओ.पी. की राशि में अंतर पाया जाता है यह त्रुटि मुख्यतः मुख्यशीर्ष 2030 एवं 2071 में पाई जाती है। कोषालयों द्वारा पेंशन भुगतान के बैंक स्कूल प्रायः सभी कोषालयों से प्राप्त नहीं हो रहे हैं। विशेष रूप से भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं से आहरित पेंशन के स्कूल प्राप्त नहीं हो रहे हैं। जिससे बार-बार सम्बन्धित कोषालयों से सम्पर्क कर ई-मेल के माध्यम से डाटा मंगाना पड़ता है जिससे कार्य में विलम्ब होता है।

2.6 सभी कोषालयों द्वारा बैंक स्कूल में पेंशन दायित्वों का पूर्व अविभाजित मध्यप्रदेश एवं मध्य प्रदेश में विभाजन नहीं किया जा रहा है। विभिन्न पेंशन जैसे प्रत्याशित पेंशन उपदान आदि के भुगतान की राशि का एकीकृत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभाजन करते हुये समान रूप से व्हाउचर प्राप्त नहीं हो रहे हैं जिससे प्रत्येक राज्य के पेंशन दायित्वों के सही-सही आंकलन में परेशानी होती है।

2.7 प्रायः कोषालयों द्वारा सुधार हेतु मांग पत्र (Requisition for Correction) निर्धारित प्रपत्र में भरकर नहीं भेजा जाता है और न ही आवश्यक अभिलेख जैसे चालान की प्रति, संबंधित शेड्यूल आदि भेजे जाते हैं। तथा सुधार हेतु मुख्यशीर्ष, माह, राशि आदि स्पष्ट रूप से अंकित नहीं की जाती है।

2.8 कोषालयों द्वारा प्रायः मुख्यशीर्ष 8443-103, 8443-106, 8443-123 तथा 8443-800 से संबंधित धन-ऋण पत्रक मासिक लेखों के साथ नहीं भेजे जाते हैं। इस कारण समायोजन में अनावश्यक विलंब होता है।

2.9 वर्ष 2016-17 के अन्त तक अप्राप्त/विलम्ब से प्राप्त व्ही.डी.एम.एस.

नियमानुसार सत्यापित मासिक तिथिवार व्यय पत्रक (व्ही.डी.एम.एस.) जिला कोषालय अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद, बैंक शाखाओं को एक प्रति वापस कर, दो प्रतियाँ कार्यालय प्रधान महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर को डाक द्वारा आगामी माह की 10 तारीख तक, प्रेषित किया जाना चाहिये।

ये पत्रक कुछ मामलों में या तो प्राप्त ही नहीं होते हैं या काफी विलम्ब से प्राप्त होते हैं, जिसके कारण आर.बी.डी. के अंतर्गत विसंगतियों का निराकरण प्रभावित होता है। कोषालय दतिया, जबलपुर सिटी, रायसेन, श्योपुर कला, शिवपुरी, सिंगरौली, विन्ध्याचल भवन आदि द्वारा प्रायः व्ही.डी.एम.एस. पत्रक नहीं भेजे जाते हैं।

2.10 कोषालयों द्वारा मासिक लेखे में अंकित आर.बी.डी. राशि तथा आर.बी.डी. पत्रक में दर्शित राशि में अंतर।

नियमानुसार कोषालयों द्वारा मासिक लेखों में दर्शाई गई आर.बी.डी. राशि के अनुसार ही आर.बी.डी. पत्रक संलग्न कर मासिक लेखे के साथ भेजे जाने चाहिए। दोनों के मध्य यदि कोई अन्तर हो तो, अन्तर का निराकरण कर लेखा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

समीक्षा वर्ष 2016-17 में परिशिष्ट संख्या-2 में दिये गये विवरण के अनुसार विभिन्न कोषालयों द्वारा प्रस्तुत लेखों में दर्शाई गई आर.बी.डी. राशि तथा संबंधित आर.बी.डी. पत्रक में राशि 24.43 करोड़ (डेबिट) एवं राशि 0.27 करोड़ (क्रेडिट) का अंतर पाया गया।

2.11 व्यक्तिगत निक्षेप खातों में ऋणात्मक शेष पाया जाना

नियमानुसार कोषालयों में संधारित व्यक्तिगत निक्षेप खाते में जमा शेष राशि ऋणात्मक नहीं होनी चाहिये। प्रधान महालेखाकार कार्यालय के अभिलेखों से अंकमिलान कर सुधार किया जाना आवश्यक है। वर्ष 2016-17 में कुल 47 कोषालयों में व्यक्तिगत जमा खातों में ऋणात्मक शेष है। जिनके निराकरण हेतु कोषालयों द्वारा अंकमिलान नहीं किया गया है।

2.12 व्यक्तिगत निक्षेप खाता धारकों से अप्राप्त अवशेष प्रमाण पत्रों का विवरण

वर्ष 2016-17 में सभी 56 कोषालयों के 809 व्यक्तिगत खाता धारकों में से मात्र 170 खाता धारकों द्वारा अवशेष प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये हैं 639 खाता धारकों से अवशेष प्रमाण पत्र अप्राप्त है। विवरण परिशिष्ट संख्या-15 में दर्शाया गया है।

2.13 कोषालयों द्वारा व्यक्तिगत जमा खातों के मासिक धन ऋण पत्रक प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित न किया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 558 के अनुसार, प्रत्येक कोषालय द्वारा मासिक निक्षेप पत्रकों के साथ प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 69 में एक धन ऋण ज्ञापन महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।

वर्ष 2016-17 के लेखा संकलन के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या-3** में दर्शाये गये विवरण के अनुसार कोषालयों द्वारा विभिन्न माहों के धन ऋण पत्रक मासिक लेखे के साथ प्रेषित नहीं किये गये।

भाग–तीन

वर्ष 2016–17 में कोषालयों एवं उपकोषालयों के
निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियां एवं अन्य
अनियमिततायें

वर्ष 2016-17 में कोषालयों/उपकोषालयों के निरीक्षण एवं व्यय लेखा परीक्षा के दौरान परिलक्षित हुई त्रुटियां एवं अन्य अनियमिततायें

3.1 वर्ष 2016-17 के दौरान निरीक्षण किये गये कोषालय एवं उपकोषालय का विवरण

इस कार्यालय के निरीक्षण दलों द्वारा कोषालयों/उपकोषालयों का निरीक्षण किया जाता है। इस निरीक्षण का उद्देश्य राजस्व अधिकारियों को ऐसी व्यवस्था के संचालन में सहयोग देना है, जिससे सभी कोषालय निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए कार्य कर सकें। समीक्षा वर्ष 2016-17 के दौरान **परिशिष्ट संख्या-4** में दर्शाये गये 35 कोषालयों एवं 91 उपकोषालयों तथा आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल का निरीक्षण किया गया।

3.2 वर्ष 2016-17 में लंबित निरीक्षण/व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं की स्थिति निम्नानुसार है

कंडिकाओं का विवरण	निरीक्षण/व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की संख्या	कंडिकाओं की संख्या
दिनांक 01.04.2016 को प्रारंभिक शेष	191	479
वर्ष के दौरान वृद्धि	35	174
योग	226	653
वर्ष के दौरान निराकरण	58	225
दिनांक 31.3.17 को अंतशेष	168	428

लंबित कंडिकाओं के निराकरण हेतु सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, आयुक्त, कोष एवं लेखा म.प्र. भोपाल क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा तथा कोषालय अधिकारियों का लगातार ध्यान आकृष्ट किये जाने के उपरांत समीक्षा वर्ष 2016-17 में 58 निरीक्षण/व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं 225 कंडिकाओं का निराकरण किया गया। दिनांक 31.03.2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में निरीक्षण/व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के 168 निरीक्षण प्रतिवेदन तथा 428 कंडिकायें लंबित हैं।

3.2.1 कोषालय द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों का प्रथम पालन प्रतिवेदन प्रेषित न किया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 43 एवं 44 के अनुसार महालेखाकार कार्यालय के कोषालय निरीक्षण दल द्वारा कोषालय के निरीक्षण के पश्चात पाई गई आपत्तियों को निरीक्षण प्रतिवेदन के रूप में जारी कर उसका प्रथम पालन प्रतिवेदन जारी होने के दिनांक से पांच सप्ताह के अंदर महालेखाकार कार्यालय को भेजने हेतु लेख किया जाता है। संचालनालय तथा संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन कार्यालय के आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के निराकरण की निगरानी रखी जानी चाहिए।

समस्त कोषालयों के निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रतियां आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन तथा संबंधित कोषालयों को पांच सप्ताह में पालनार्थ भेजे जाते हैं, परंतु समीक्षा वर्ष 2016-17 में पाया गया कि, **परिशिष्ट संख्या 5** में दर्शाये गये विवरण अनुसार 36 कोषालयों में से 17 कोषालयों के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रथम पालन प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के पश्चात आगामी निरीक्षण तक भी प्राप्त नहीं हुये तथा 12 कोषालयों के पालन प्रतिवेदन विलम्ब से प्राप्त हुये।

3.2.2 कोषालयों/उपकोषालयों का विभागीय निरीक्षण निर्धारित अवधि में न किया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग-एक के सहायक नियम 38 एवं 39 के अनुसार कोषालयों/उपकोषालयों का विभागीय निरीक्षण, विभागीय अधिकारियों द्वारा निम्न अवधि अनुसार किया जाना चाहिये।

स.क	निरीक्षण अधिकारी का पदनाम	निर्धारित अवधि	
		कोषालय	उपकोषालय
1	आयुक्त/संचालक कोष एवं लेखा म.प्र. भोपाल	3 वर्ष में एक बार	6 वर्ष में एक बार
2	संभागीय आयुक्त (राजस्व)	वर्ष में एक बार	उपखण्ड के निरीक्षण के समय
3	क्षेत्रीय संयुक्त संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन	वर्ष में एक बार	वर्ष में एक बार
4	जिला कलेक्टर	वर्ष में दो बार	वर्ष में एक बार
5	नामित उपजिलाध्यक्ष	प्रतिमाह	—
6	कोषालय अधिकारी	—	वर्ष में दो बार
7	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	—	वर्ष में दो बार

सभी कोषालयों/उपकोषालयों में उक्त प्रक्रिया का केवल आंशिक पालन किया गया जबकि सभी निरीक्षण निर्धारित अवधियों पर पूर्ण किये जाने चाहिए।

3.3 पेंशन से संबंधित प्रकरण

3.3.1 तीन वर्ष से अधिक समय से अनाहरित पेंशन

पेंशनर/परिवार पेंशनर जिन्होंने विगत तीन वर्षों से अधिक समय से अपनी पेंशन/परिवार पेंशन आहरित नहीं की है, ऐसे प्रकरणों में कोषालय द्वारा पेंशनर/परिवार पेंशनर के जीवित होने की जांच कराई जानी चाहिए तथा अनाहरित पेंशन राशि का निराकरण कर लिया जाना चाहिए।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या- 6 में दिये गये विवरण अनुसार 03 कोषालयों में कुल 09 पेंशन भुगतान आदेश तीन वर्ष से अधिक समय से आहरण हेतु लंबित है।

3.3.2 एक वर्ष से अधिक समय से अनाहरित पेंशन उपदान प्रकरण

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 387 के अनुसार उपदान भुगतान आदेश एक वर्ष तक प्रभावशील रहेंगे, तत्पश्चात् उक्त भुगतान आदेशों को संवितरण कार्यालय में रोकी नहीं जायेगी। भुगतान आदेशों का पुनर्वैधीकरण कराया जाना आवश्यक है।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि, परिशिष्ट संख्या-7 में दर्शाये गये 06 कोषालयों में 31 पेंशन उपदान आदेश एक वर्ष से अधिक समय से अनाहरित है।

3.3.3 निर्धारित अवधि के पश्चात भी उच्च दर पर परिवार पेंशन का भुगतान राशि 1.54 करोड़

मध्य प्रदेश पेंशन नियम 47 के अनुसार, परिवार पेंशन की राशि पेंशनर की मृत्यु पश्चात 7 वर्ष तक अथवा उसकी 67 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक बढ़ी दर से प्रदाय की जाती है। तदोपरान्त परिवार पेंशन सामान्य दर से भुगतान की जानी चाहिए।

संचालनालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद, कोषालय द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम भुगतान किये जा रहे पेंशन प्रकरणों की नियमित जांच नहीं की गई जिसके कारण वर्ष 2016-17 में **परिशिष्ट संख्या- 8** में वर्णित 19 कोषालयों के अंतर्गत, सार्वजनिक बैंकों द्वारा 26 परिवार पेंशन प्रकरणों में सामान्य दर के बजाय बढ़ी दर से भुगतान किया गया अर्थात् राशि 6246276.00 का अधिक भुगतान हुआ । इसके पूर्व वर्षों में भी राशि 9157050.00 वसूली हेतु लंबित थी । इस प्रकार राशि 15403326.00 परिवार पेंशन का अधिक भुगतान किया गया ।

3.3.4 पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को न्यूनतम पेंशन राशि का भुगतान न किया जाना

निरीक्षण वर्ष 2016-17 के दौरान पाया गया है कि **परिशिष्ट संख्या-9** में दर्शाये अनुसार दिनांक 01.01.2006 को या उसके पश्चात 23 कोषालयों में 321 सेवानिवृत्त पेंशनर/परिवार पेंशनरों को न्यूनतम पेंशन राशि 3025.00 का भुगतान नहीं किया गया ।

3.4(i) सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान हेतु प्राप्त प्राधिकार पत्रों पर निर्धारित छःमाह की समयावधि में भुगतान न किया जाना

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग क्रमांक एफ-5/4/2005/नि./चार दिनांक 29.6.2005 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं कि सेवा निवृत्त शासकीय सेवक के सा.भ.नि. अंतिम भुगतान के प्रकरणों में अनावश्यक विलम्ब के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारी न्यायालय की शरण लेते हैं तथा आहरण अधिकारी एवं वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिवादी बनाते हैं । इस कारण अनावश्यक श्रम एवं समय लगता है तथा शासन पर कई मामलों में वित्तीय भार भी आता है। इसके अलावा विलम्ब से उक्त भुगतान के परिणामस्वरूप सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा ब्याज की राशि की हानि भी उठानी पड़ती है ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या-10** में दर्शाये गये कोषालयों द्वारा महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी कुल 371 प्राधिकार पत्रों पर राशि 42884138.00 का भुगतान आहरण अधिकारियों से समन्वय करके जारी होने के दिनांक से छःमाह की (वैधता) अवधि में नहीं किया गया तथा किन्हीं में पुर्नवैधीकरण की कार्यवाही भी लंबित पाई गयी ।

3.4(ii) सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान प्रकरण में समय पर भुगतान न किये जाने के परिणामस्वरूप ब्याज का अधिक भुगतान

संचालनालय कोष एवं लेखा म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक को.प्र.लेखा/16-17-2004-52 दिनांक 18/06/2014 द्वारा कोषालय अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से समन्वय कर सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान प्राधिकार पत्रों पर शीघ्र तथा वैधता अवधि में भुगतान संबंधी कार्यवाही की जावे। सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान प्राधिकार पत्रों पर समयावधि में भुगतान न करने से संबंधित सेवानिवृत्त अभिदाता अथवा दिवंगत अभिदाता के उत्तराधिकारी को अनावश्यक रूप से आर्थिक परेशानियां होती है। तथा म.प्र. शासन को भी ब्याज के रूप में अधिक राशि का भुगतान करना पड़ता है। सतना कोषालय में निम्नलिखित प्राधिकार पत्र पर वैधता अवधि में भुगतान न करने से ब्याज की अधिक राशि का भुगतान करना पड़ा जो निम्नानुसार है :

क्र	अभिदाता का नाम	पुनरीक्षित प्राधिकृत राशि	मूल प्राधिकार पत्र पर प्राधिकृत राशि	ब्याज की अधिक भुगतान की गई राशि
1	श्री पंचमलाल त्रिपाठी ई. डी./एन.एम.पी /211532	617434.00	584268.00	33166.00

उपरोक्त विवरण अनुसार सामान्य भविष्य निधि प्राधिकार पत्र का भुगतान न करने के कारण शासन को अधिक ब्याज के रूप में राशि 33166.00 का अधिक भुगतान करना पड़ा ।

3.5 भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार दो पासबुकों का संधारण न किया जाना

भारतीय रिजर्व बैंक में विभिन्न स्तरों से प्राप्त होने वाले राज्य शासन के आय व्यय के आंकड़ों के अंतर को दूर करने के उद्देश्य से आर.बी.आई. के परिपत्र संख्या डी.जी.बी.ए.जी.ए.डी./1377/31.4.2008/2002-03/02.02.2003 एवं पत्र क्र. सं. बैं. ले. नि. जी. ए. डी. एच. 698/31.04.2008/2002-03/17.06.2003 के द्वारा दो पासबुक क्रमशः कोषालय एवं एजेंसी बैंक स्तर पर राज्य शासन के आय व्यय के आंकड़े प्रतिदिन सतत रूप से दर्ज करने तथा परस्पर सत्यापन के उद्देश्य से संधारित करने के निर्देश हैं। प्रत्येक माह पासबुक के 'ए' साइड पर बैंक स्तर व 'बी' साइड पर कोषालयीन अभिलेख से आय व्यय के आंकड़े दर्ज करने हेतु, निर्धारित किये गये हैं जिसका परस्पर सत्यापन भी किया जाना चाहिये।

वर्ष 2016-17 के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 24 कोषालय तथा अधीनस्थ उपकोषालयों ने भारतीय रिजर्व बैंक के उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया। जिसे **परिशिष्ट संख्या 11** में दर्शाया गया है।

3.6 वन तथा निर्माण प्रेषणों का प्रमाणीकरण न किया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग-एक के सहायक नियम 505 तथा 488 के प्रावधान अनुसार क्रमशः वन तथा निर्माण विभागों के, माह के दौरान प्रेषणों एवं प्राप्तियों के आंकड़ों का मिलान संबंधित कोषालयों के अभिलेख से किया जाना चाहिये जिससे माह के दौरान प्रेषण एवं जमा राशि के आंकड़ों की पुष्टि की जा सकें। कोषालय द्वारा आंकड़ों के मिलान बावत् नियमानुसार निम्न आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये, माह के दौरान वन प्रेषणों की प्राप्ति एवं उनके द्वारा जमा की, प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 58 में एक समेकित कोषालय पावती कोषालय अधिकारी द्वारा कोषालय से लेन देन कर रहे प्रत्येक वन अधिकारी को अगले माह की 5 तारीख तक भेजी जानी चाहिये। जैसे ही कोषालय से समेकित कोषालय पावती प्राप्त होती है, उसकी तुलना रोकड़ पुस्तक में की गई प्रविष्टियों के साथ की जानी चाहिए तथा संभागीय वन अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

इसी प्रकार लोक निर्माण विभाग द्वारा किये गये प्रेषणों की एक समेकित कोषालय पावती प्रत्येक माह के अन्त में कोषालय अधिकारी द्वारा एम.पी.टी.सी. प्रपत्र 56 में लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार समेकित कोषालय पावती पर अपने अभिलेख से मिलान उपरान्त हस्ताक्षर कर पावती वापिस की जानी चाहिये।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या-12** में दर्शाये गये, 09 कोषालयों द्वारा वन तथा निर्माण प्रेषणों एवं जमा राशियों का मिलान कराने बावत्, आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई।

3.7 जमा खातों की अभिरक्षा

3.7.1 तीन वर्ष से अधिक समय से अदावाकृत राजस्व जमा की राशि 43.07 करोड़ व्यपगत न किया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 562 के प्रावधान अनुसार एक पूर्ण लेखा वर्ष तक दावा न किये गये राशि 25.00 से अनाधिक की जमा राशियों को, वित्त वर्ष में अंशतः वापस भुगतान की गई जमा राशि के पश्चात शेष पच्चीस रुपये से अनाधिक की जमा राशियाँ, तथा तीन पूर्ण लेखा वर्षों से भी अधिक समय तक अवशिष्ट समस्त अदावाकृत शेष राशियों को प्रतिवर्ष मार्च माह की समाप्ति पर प्रधान महालेखाकार के कार्यालय में अंतरण प्रविष्टियों के माध्यम से शासन के खाते में व्यपगत किया जाना चाहिए। इस तरह व्यपगत हुए निक्षेपों एवं शेषों की प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 71 में एक सूची 31 मार्च के पश्चात तत्काल कोषालय अधिकारी द्वारा महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या-13** में दिये गये विवरण अनुसार 29 कोषालयों द्वारा राजस्व निक्षेप की तीन लेखा वर्षों से अधिक समय से अदावाकृत राशि 430712482.00 को नियमानुसार शासन के खाते में व्यपगत नहीं किया गया ।

3.7.2 तीन वर्ष से अधिक समय से अप्रचलित निष्प्रभावी व्यक्तिगत जमा लेखों की सूची

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 543 के अनुसार यदि व्यक्तिगत लेखा लगातार 3 वर्षों से अधिक अवधि से निष्प्रभावी रखा गया है, तो कोषालय अधिकारी लिखित रूप में लेखा के प्रशासक को संबोधित करते हुए एक नोटिस जारी करेगा कि एक माह के अन्दर कारण बतायें कि लेखा के शेष को क्यों न राजस्व में जमा किया जावे। यदि प्रशासक का पता नहीं चले, या वह एक माह में प्रतिउत्तर देने में असफल रहता है अथवा कोषालय अधिकारी व्यक्तिगत जमा लेखा निरंतर चालू रखने के बारे में औचित्य बताने में असफल रहता है, तो कोषालय अधिकारी महालेखाकार की पुस्तक से शेष का मिलान तथा सत्यापन कराने के पश्चात महालेखाकार को मांग पत्र भेजकर, संबंधित प्रशासक के व्यक्तिगत जमा लेखा के शेष को राजस्व जमा में जमा करेगा।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या 14** में दर्शाये गये 28 कोषालयों में व्यक्तिगत जमा खातों में तीन वर्ष से अधिक समय से कोई लेन देन न होने के बावजूद भी, खातों में शेष राशि 68.11 करोड़ को राजस्व निक्षेप के अंतर्गत अंतरण करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

3.8 व्यक्तिगत जमा लेखे के प्रशासकों से अवशेष सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त न होना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 590 के प्रावधानों के तहत, प्रत्येक व्यक्तिगत जमा खाता प्रशासक से वित्त वर्ष के अन्त में वार्षिक अवशेष प्रमाण पत्र प्राप्त कर तथा कोषालयीन अभिलेख से मिलान पश्चात सत्यापन कर, कार्यालय महालेखाकार को मार्च लेखे के साथ भेजना चाहिये, साथ ही अभिलेख में वार्षिक प्रमाण पत्र अनुसार शेष भी अंकित कर सत्यापन कराया जाना चाहिये ।

समीक्षा वर्ष 2016-17 में पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या- 15** में दर्शाये गये कोषालयों में संधारित कुल 809 व्यक्तिगत खातों में से केवल 170 खाताधारकों से अवशेष प्रमाण पत्र प्राप्त हुये हैं जबकि 639 खाताधारकों से अवशेष प्रमाण पत्र वर्ष के अन्त तक वांछित रहे ।

3.9 राजस्व जमा पंजी में प्रत्येक तिमाही के अंतराल में जांच किये जाने का प्रमाण पत्र अंकित न पाया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 559 के अनुसार प्रत्येक तिमाही के अंत में प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 64 में संधारित की गई राजस्व निक्षेप प्राप्ति की पंजी में जिलाध्यक्ष अथवा इस हेतु नामांकित किये गये कोई राजपत्रित अधिकारी (जो कि कोषालय अधिकारी नहीं हो) द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि उसने व्यक्तिगत रूप से सावधानीपूर्वक पंजी की जांच कर ली है तथा यह कि समस्त प्रविष्टियां अत्यंत सावधानी से तथा नियमित रूप से की गई है, अभिलिखित किया जाना चाहिये ।

निरीक्षण के दौरान 07 कोषालयों (मण्डला, आगरमालवा, रायसेन, बैतूल, रीवा, बडवानी एवं बालाघाट) के राजस्व पंजी की जांच करने पर उक्त आशय का प्रमाण पत्र अंकित किया जाना नहीं पाया गया ।

3.10 सिविल न्यायालय जमा खातों के न्यायालयीन अभिलेख एवं कोषालयीन अभिलेख में अंतर

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 582 के अनुसार सिविल न्यायालय निक्षेप खातों के प्राप्तियों एवं भुगतानों की सार पंजी वापसी प्रमाणकों सहित महालेखाकार को कोषालय प्रभारी अधिकारी के माध्यम से भेजी जाना चाहिये, जो पंजियों को महालेखाकार को प्रेषित करने के पूर्व कोषालय अंकों के साथ प्राप्तियों एवं वापसियों के योग को सहमत होने का सत्यापन करेगा। कोषालय अधिकारी अपने व्यक्तिगत निक्षेपों (प्रपत्र एम.पी.टी.सी.75) की सार पंजी के नीचे दिखाये गये शेष को नाजिर के सिविल न्यायालय निक्षेपों की पंजियों में दिखाये गये शेष के साथ सहमत होना भी सत्यापित करेगा। यदि कोई भिन्नता हो, तो कोषालय अधिकारी द्वारा पंजियों में सुधार करने हेतु लौटा दिया जाता है।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या-16** में दर्शाये गये विवरण अनुसार कोषालयीन अभिलेख के अनुसार शेष, न्यायालयीन अभिलेख के अनुसार शेष एवं धनऋणपत्रक अनुसार शेष राशियों में अंतर राशि 150301249.00 का बिना निराकरण किये मासिक लेखा महालेखाकार को प्रस्तुत किया गया।

3.11 व्यक्तिगत निक्षेप खातों के धन ऋण पत्रक में दर्शाये गये शेष एवं प्रशासक से प्राप्त वार्षिक प्रमाण पत्र अनुसार शेषों में अंतर पाया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 590 के अनुसार प्रत्येक व्यक्तिगत खाता लेखा के प्रशासकों से इस आशय का एक वार्षिक प्रमाण पत्र कि उनके द्वारा दावा किया गया व शेष नामित लेखा के है महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिये। यदि उनके शेष तथा माह मार्च हेतु धन ऋण ज्ञापन में दर्शाये गये शेष के मध्य कोई भिन्नता हो तो स्पष्ट किया जाना चाहिये।

परिशिष्ट संख्या- 17 में दर्शाये गये कोषालयों/उपकोषालयों में संधारित व्यक्तिगत जमा खाताधारकों द्वारा प्रदाय वार्षिक अवशेष प्रमाण पत्रों अनुसार शेष राशि तथा कोषालय द्वारा महालेखाकार को भेजे गये धन ऋण पत्रक में अंकित राशि में राशि 698422624.00 का अंतर पाया गया।

3.12(i) वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना शीर्ष 8443-800 के अंतर्गत किये गये अनाधिकृत लेन देन

मध्य प्रदेश शासन भोपाल के पत्र क्रमांक 24/चार/ब-1/1/93 दिनांक 07.1.1993 के अनुसार मुख्य शीर्ष 8443 सिविल जमा 800 के अंतर्गत कोई भी लेन देन वित्त विभाग की स्वीकृति के पश्चात किया जाना चाहिये।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या-18** में दर्शाये कोषालयों के अंतर्गत राशि 14813536.00 (जमा) एवं निरंक (आहरण) का लेन-देन बिना वित्त विभाग की स्वीकृति के किया गया।

3.12(ii) आकस्मिकता निधि से आहरित की गई राशि 119.00 करोड़ की प्रतिपूर्ति न किये जाना

कोषालय विन्ध्यांचल भवन के निरीक्षण में पाया गया है वर्ष 2016-17 (जनवरी 2017 तक) कि, मुख्य शीर्ष 8000 आकस्मिकता निधि से राशि 119.00 करोड़ किया गया है, किन्तु आहरित की गई राशियों की प्रतिपूर्ति से संबंधित स्वीकृतियां वित्त विभाग से प्राप्त नहीं की गई हैं जिससे की म.प्र.राज्य के वित्त लेखे में राशि एडवर्स रूप में प्रदर्शित हो रही है।

3.13 कोषालयों में सुरक्षा

3.13.1 दृढ़ कक्ष से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 90(2) के अनुसार विद्यमान दृढ़कक्ष का वार्षिक निरीक्षण कार्यपालन यंत्री द्वारा अथवा किसी अनुभवी सहायक यंत्री के द्वारा जिसे इस प्रयोजन हेतु प्रतिनियुक्त किया गया है, किया जाना चाहिये। निरीक्षणकर्ता अधिकारी सुरक्षा का एक प्रमाण पत्र प्रदान करेगा तथा कोषालय अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह प्रति वर्ष ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त कर कोषालय में उपलब्ध रखेगा।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि रतलाम एवं राजगढ़ कोषालय में दृढ़ कक्ष से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया।

3.13.2 खजांची/भण्डार लिपिक से प्रतिभूति राशि जमा कराया न जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 20, 21 एवं 22 के तहत कोषालय में खजांची धनराशि के लेन देन के लिए उत्तरदायी होता है। कलेक्टर का यह देखने का कर्तव्य है कि खजांची ने शासन को हानि से बचाने हेतु यथोचित मात्रा में जमानत प्रस्तुत की है। आयुक्त कोष एवं लेखा के पत्र क्रमांक स्था./दो/12/87-98 दि. 24.1.1997 के अनुसार भण्डार लिपिक से राशि 3000.00 एवं रोकड़िया से राशि 5000.00 प्रतिभूति प्राप्त की जानी चाहिए।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या- 19** में दर्शाये गये 11 कोषालय एवं उनके अधीनस्थ उपकोषालयों द्वारा खजांची तथा भण्डार लिपिक से उक्त नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा नहीं करायी गई।

3.13.3 बहुमूल्य वस्तुओं को तीन वर्ष पश्चात कोषालय से वापस न लिया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 47(ii) के नीचे टिप्पणी के अनुसार कोषालय अथवा उपकोषालय के कक्ष में रखी नगदी की तिजोरी/सीलबन्द लिफाफा, जमाकर्ता अधिकारी के द्वारा प्रथम जमा के दिनांक से तीन वर्ष के अंदर वापिस लिया जाना चाहिये। इसके पश्चात यदि जमाकर्ता तिजोरी/सीलबन्द लिफाफे को कोषालय/उपकोषालय में पुनः जमा करना उचित समझता है तो, उसे इस संबंध में प्रथम जमा की तरह कार्यवाही करना चाहिए।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या-20** में दर्शाये गये कुल 26 कोषालयों एवं उनके अधीनस्थ उपकोषालयों के दृढ़ कक्ष में रखे 7779 मूल्यवान वस्तुओं के पैकेट्स उनके प्रथम जमा के दिनांक से तीन वर्ष के उपरांत भी जमाकर्ता द्वारा वापिस नहीं लिये गये।

3.13.4 कोषालय/उपकोषालय के दृढ़ कक्ष में रखे विभागीय दोहरी चाबियों के पैकेट्स वर्ष के अंत में जांच हेतु वापस न लिया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 85 के अनुसार विभागीय अधिकारियों द्वारा कोषालय/उपकोषालय के दृढ़ कक्ष में रखी गई दोहरी चाबियों के पैकेट्स जमाकर्ताओं द्वारा प्रतिवर्ष माह अप्रैल में जांच हेतु वापस लेना चाहिये।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या-21** में दर्शाये गये 27 कोषालय एवं उनके अधीनस्थ उपकोषालय के दृढ़ कक्ष में रखी गई दोहरी चाबियों के कुल 716 पैकेट्स जमाकर्ता अधिकारी द्वारा माह अप्रैल, 2016 में जांच करने हेतु वापस नहीं लिये गये, और न ही कोषालय/उपकोषालय अधिकारियों द्वारा इस बावत् प्रभावी कार्यवाही की गई।

3.14 मुद्रांक लेखों का संधारण

3.14.1 मुद्राकों का निर्धारित सीमा से अधिक भण्डारण

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्य प्रदेश, भोपाल के आदेश क्रमांक 2922/स्टाम्प/2003 दिनांक 21.10.2003 के अनुसार ज्यूडिशियल एवं नान ज्यूडिशियल मुद्राकों के कोषालयों में भण्डारण की सीमा निर्धारित की गई है जिससे मुद्राकों की छपाई, भाड़ा तथा सुरक्षा पर अनावश्यक व्यय न हो ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या-22** में दर्शाये गये विवरण अनुसार कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा राशि 438.90 करोड़ के मुद्राकों को निर्धारित सीमा से अधिक भण्डारण किया गया ।

3.14.2 अप्रचलित मुद्राकों का सुदृढ़ कक्ष में अनावश्यक भण्डारण

महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक 27/स्टाम्प/2008 भोपाल दिनांक 03.1.2008 के निर्देशानुसार नान ज्यूडिशियल स्टाम्प जिन पर मध्य प्रदेश व क्रमांक मुद्रित न हो, का प्रदाय प्रतिबंधित किया गया था ।

परिशिष्ट संख्या-23 में दर्शाये गये विवरण अनुसार 08 कोषालयों एवं उपकोषालयों द्वारा राशि 2.33 करोड़ के अप्रचलित नान ज्यूडिशियल स्टाम्प तथा अन्य स्टाम्पों का दृढ़ कक्ष में अनावश्यक भण्डारण रखा जाना तथा इन मुद्राकों के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही नहीं किया जाना पाया गया ।

3.14.3 मुद्रांक विक्रेताओं को प्रदत्त कमीशन का तिमाही पत्रक आयकर आयुक्त को न भेजा जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 171(फ) के अनुसार कोषालय अधिकारी संबंधित आयकर आयुक्त को राशि 250.00 तथा इससे अधिक के वैयक्तिकों को किये गये भुगतानों का एक तिमाही पत्रक भेजेगा । इसमें भुगतान ग्रहिताओं के नाम तथा पते तथा भुगतान की गई राशि बताई जायेगी जो उसके द्वारा शासन की ओर से कमीशन प्रदाय की गई है ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या-24** में दर्शाये गये 09 कोषालय एवं उनके अधीनस्थ उपकोषालयों द्वारा उक्त नियमानुसार प्रदत्त कमीशन का तिमाही पत्रक संबंधित आयकर आयुक्त को नहीं भेजा गया ।

3.14.4 नान ज्यूडिशियल मुद्राकों के जारी होने की सूचना रजिस्ट्रार को न भेजा जाना

संचालनालय के पत्र क्रमांक/मुद्रांक/2004/560 दिनांक 15.6.2004 के निर्देशानुसार कोषालय अधिकारी का यह दायित्व है कि वह अपने कोषालय से जारी किये गये नान ज्यूडिशियल मुद्राकों पर डाले गये नंबर एवं दिनांक के विवरण की एडवाइज जारी दिनांक को संबंधित जिला पंजीयक/उपपंजीयक कार्यालय को सीलबंद लिफाफे में भेजेगा ताकि पंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्री में उपयोग में आने वाले नान ज्यूडिशियल स्टाम्प का प्रमाणीकरण कोषालय से प्राप्त एडवाइज में अंकित नंबर से मिलान किया जा सके ।

परिशिष्ट संख्या-25 में दर्शाये गये विवरण अनुसार 06 कोषालय एवं इनके अधीनस्थ उपकोषालयों द्वारा नान ज्यूडिशियल मुद्राकों के जारी होने की सूचना रजिस्ट्रार को नहीं भेजा गया ।

3.14.5 मुद्रांक पंजी (मैनुअल) एवं मुद्रांक पंजी (कम्प्यूटर) के शेष में अंतर

कोषालयों द्वारा महालेखाकार कार्यालय को कम्प्यूटर से तैयार मासिक लेखा भेजा जाता है जिसके आधार पर महालेखाकार कार्यालय में संकलन किया जाता है । कोषालय में रखे मुद्राकों का भौतिक सत्यापन कलेक्टर/उच्च अधिकारियों द्वारा करने के उपरांत इस आशय का प्रमाण पत्र मुद्रांक पंजी (मैनुअल) में अंकित किया जाता है । अतः दोनों अभिलेख मुद्रांक पंजी (मैनुअल) तथा कम्प्यूटर पंजी महत्वपूर्ण है जिसमें कोई अंतर प्रकट नहीं होना चाहिए ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या-26** में दर्शाये गये कोषालयों/ अधीनस्थ उपकोषालयों में संधारित मुद्रांक पंजी (मैनुअल) एवं मुद्रांक पंजी (कम्प्यूटर) के अंतशेष में राशि 10.30 करोड़ का अंतर पाया गया।

3.15 सूचना तकनीकी लेखा परीक्षा संबंधी आपत्तियां

3.15.1 डाटा/प्रणाली के संरक्षण हेतु तार्किक/भौतिक सुरक्षा का अभाव

वर्ष 2016-17 में सभी कोषालयों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कोषालयों में कार्य के क्रियान्वयन हेतु कम्प्यूटर प्रणाली लागू तो की गई है परंतु प्रणाली के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु व्यापक उपाय नहीं किये गये। इस संबंध में कम्प्यूटर प्रणाली में मुख्य रूप से निम्न कमियां पाई गई :-

- (i) कम्प्यूटर कक्ष तथा इसमें स्थापित कम्प्यूटर वस्तुओं, सर्वर आदि को आग से बचाने के लिए अग्निशामन यंत्र कम्प्यूटर कक्ष में पर्याप्त मात्रा में स्थापित नहीं किये गये और न ही धूल जो कि कम्प्यूटर की बोर्ड एवं अन्य कम्प्यूटर हार्डवेयर का मुख्य अवरोध है, से बचाने के लिये कोई पर्याप्त उपाय किये गये।
- (ii) कम्प्यूटर सिस्टम में विद्युत व्यवस्था बाधित न होने की दृष्टि से यू.पी.एस. एवं बैटरियों को अलग स्विच रूम में स्थापित नहीं किया गया।
- (iii) डिजास्टर अथवा डाटा बेस क्रैश होने की स्थिति में डाटा प्राप्त करने के लिये डिजास्टर रिकवरी प्लान नहीं तैयार किया गया और न ही दैनिक डाटा को रिट्रीव करने संबंधित कोई उपाय किये गये।
- (iv) मूल साफ्टवेयर, नवीनतम संस्करण तथा बैकअप आदि को अग्नि, अन्य क्षतिकारक यंत्रों एवं जोखिमों से बचाने के लिये अग्नि-रक्षित कैबिनटों में रखने हेतु कोई सुविधा नहीं है और न ही अग्नि पहचान यंत्रों, श्रव्य संकेतो की व्यवस्था कोषालयों में रखी गई है।
- (v) कम्प्यूटर प्रणाली की सुरक्षा हेतु सुरक्षा कक्ष एवं सुरक्षा मैनेजर की स्थापना नहीं की गई है।
- (vi) बैकअप की उपलब्धता को जांचने के लिये डाटा को नियमित अंतराल पर जांच किये जाने संबंधित कोई अभिलेख संधारित नहीं किया गया।

3.15.2 कोषालयीन डाटा का मिलान विभागीय डाटा से न किया जाना

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग क्रमांक 1889/1843/2001/सी/चार, दिनांक 5.10.2001 के अनुसार कार्यालय प्रमुखों द्वारा कोषालयों/बैंकों में चालान द्वारा समस्त जमा राशि की पुष्टि निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रतिमाह कराई जाना अनिवार्य है।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अधिकांश कोषालय एवं उनके अधीनस्थ उपकोषालयों द्वारा राज्य शासन के उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।

3.16 कोषालयों की सूचना तकनीकी लेखा परीक्षा में पाई गई अन्य कमियां

मध्य प्रदेश स्थित कोषालयों में कम्प्यूटर प्रणाली का नेटवर्क आयुक्त कोष एवं लेखा, भोपाल के मुख्य सर्वर से जुड़ा हुआ है। अतः साफ्टवेयर में किसी भी प्रकार की कमी को कोषालयों के निरीक्षण के समय पाये जाने पर कोषालय/उपकोषालय अधिकारियों द्वारा उत्तर दिया जाता है कि साफ्टवेयर में आवश्यक सुधार आयुक्त कोष एवं लेखा के कार्यालय द्वारा किया जाना है।

वर्ष 2016-17 में निरीक्षण के लिए चयनित 35 कोषालय एवं 91 उपकोषालय के साफ्टवेयर में मुख्य रूप से निम्नलिखित कमियां पाई गईं:-

- (1) कम्प्यूटर के उपयोग में आने से मुद्रांक विक्रेताओं को कम्प्यूटर के माध्यम से मुद्रांक जारी किये जाते हैं परंतु प्रणाली में मुद्रांकों के जारी किये जाने में कमीशन की राशि को मुख्य शीर्ष 2030 के अंतर्गत आवंटित बजट की राशि से घटाया नहीं जाता है, जिससे प्राप्त बजट के विरुद्ध व्यय पर नियंत्रण नहीं हो रहा है। अतः प्रणाली में उक्त बजटीय नियंत्रण की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है।
- (2) मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 94 एवं 95 (अ,ब) अनुसार सिंगल लॉग पंजिया का संधारित किया जाना चाहिये। जबकि कम्प्यूटर प्रणाली में सिंगल लॉक पंजियां संधारित करने का कोई प्रावधान नहीं है।
- (3) म0प्र0 शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक एफ-15/24/2003 /ई-4/दि.11.11.2003 के अनुसार फ्रन्ट डेस्क काउन्टर्स पर लगे कम्प्यूटर्स पर आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के स्केन किये हुए प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर तथा अधिकृत देयक वाहकों के पहचान स्वरूप उनके स्केन किये गये फोटो ग्राफ तथा हस्ताक्षर रखे जाने चाहिए जो निरीक्षण के दौरान नहीं पाये गये।
- (4) नॉन बजटेड राशियों जैसे सामान्य भविष्य निधि अग्रिम, समूह वीमा योजना आदि से संबंधित स्वीकृतियाँ बिल पारित होने के पश्चात भी अदावा स्वीकृतियों की सूची में लम्बित रहती है।
- (5) संचालक कोष एवं लेखा के पत्र क्रमांक मुद्रांक पंजी 2010/248 भोपाल दिनांक 4-12-2010 के परिशिष्ट एक एवं दो अनुसार स्टाम्प जारी करने के फील्ड में डिनोमिनेषन वार मुद्रांक दर्ज करने का फील्ड नहीं है।
- (6) कर्मचारी का स्थानान्तरण एक कोषालय से दूसरे कोषालय में होने पर उसे कार्यमुक्त करते समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उसका यूजर लॉगिन निष्क्रिय कर दिया जाना चाहिए किन्तु ऐसा नहीं किया गया।
- (7) महालेखाकार कार्यालय से प्राप्त लेखा अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षरों को प्रणाली में स्केन करने का फार्मेट नहीं है जिसके कारण सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान प्राधिकार पत्र का मिलान नहीं किया जा सकता है।
- (8) कोषालयों में सी.सी.टी.वी. एवं इमरजेन्सी सायरन जैसी व्यवस्था नहीं की गई है। तथा भवन की विद्युत व्यवस्था का प्रमाणीकरण लोक निर्माण विभाग (ई एण्ड एम) से प्राप्त नहीं किया गया है।
- (9) कम्प्यूटर के पेंशन पेमेन्ट ऑर्डर मोडीफाई आफ्टर एप्रूवल फार्मेट में किसी पेंशनर के एक कोषालय से दूसरे कोषालय में स्थानान्तरण पर स्थानान्तरण की प्रविष्टि का प्रावधान नहीं है। अतः पेंशन पेमेन्ट ऑर्डर मोडीफाई आफ्टर एप्रूवल फार्मेट में संशोधन की आवश्यकता है।

3.17 व्यय लेखा परीक्षा संबंधी तथा अन्य विसंगतियां

3.17.1 पुराने अभिलेखों का विनष्टीकरण न करना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 23-ए के अनुसार भाग दो के परिशिष्ट 4-ए में उल्लेखित कोषालयीन अभिलेखों की सूची में उनके समक्ष दर्शाई अवधि तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए। निर्धारित अवधि उपरांत रिकार्ड कीपर विनष्टीकरण योग्य अभिलेखों की सूची तैयार कर अनुमोदन हेतु कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा तथा अनुमोदन पश्चात नियमानुसार कार्यवाही की जानी चाहिए।

निरीक्षण के दौरान **परिशिष्ट संख्या-27** में दर्शाये अनुसार 27 कोषालय एवं उनके अधीनस्थ उपकोषालयों द्वारा निर्धारित अवधि समाप्ति के पश्चात भी अभिलेखों के विनष्टीकरण की कार्यवाही नहीं की गई।

3.17.2 नमूना हस्ताक्षर गार्ड फाइल के संधारण में कमियाँ

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 157 के अनुसार एवं संचालनालय कोष एवं लेखा, मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्र.डी.टी.ए./जन-20/75-76/505 दि० 7.1.1976 के अनुसार नमूना हस्ताक्षरों की गार्ड फाइल के प्रारम्भ में आहरण अधिकारियों को दर्शाने वाली अनुक्रमणिका का संधारण निर्धारित प्रारूप में किया जाना चाहिये।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या-28** में दर्शाये गये 22 कोषालयों द्वारा उक्त नियम/आदेश अनुसार नमूना हस्ताक्षर गार्ड फाइल निर्धारित प्रारूप में संधारित नहीं किया गया।

3.17.3 मृत स्कंध पंजी का सत्यापन न किया जाना

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता भाग एक के नियम 128(4) के अनुसार प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में भंडार का भौतिक सत्यापन सक्षम अधिकारी द्वारा कराया जाना चाहिये तथा पंजी का संधारण प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 9 में किया जाकर प्रतिवर्ष पंजी का सत्यापन भंडार प्रभारी के अतिरिक्त अन्य अधिकारी से कराया जाना चाहिये।

परिशिष्ट संख्या-29 में दर्शाये गये 23 कोषालयों एवं उपकोषालयों में संधारित मृत स्कंध पंजी का सत्यापन नहीं कराया गया।

3.17.4 सेवा पुस्तिकाओं के संधारण में कमियाँ

मूल नियम 74 के पूरक नियम 29 के अनुसार जैसे ही कोई व्यक्ति शासकीय सेवा में नियुक्त होकर अपने पद पर उपस्थित होता है उसकी एक सेवा पुस्तिका तैयार की जाती है। इस पुस्तिका में शासकीय सेवक के शासकीय जीवन की प्रत्येक घटना को अभिलिखित किया जाता है तथा उसे कार्यालय प्रमुख द्वारा अभिप्रमाणित किया जाना चाहिये।

निरीक्षण के दौरान **परिशिष्ट संख्या-30** में दर्शाये गये 07 कोषालयों में सेवा पुस्तिकाओं के संधारण में कमियाँ पाई गईं।

परिशिष्ट संख्या-1(अ)

(पैरा-2.1)

विलम्ब से प्राप्त मासिक लेखे की जानकारी

लेखा माह	कोषालय का नाम	लेखा प्राप्त होने की निर्धारित तिथि	लेखा प्राप्त होने वास्तविक तिथि	विलम्ब		
				1-5 दिन	6-10 दिन	10-15 दिन
04 / 2016	नरसिंहपुर	08.05.2016	10.05.2016	2		
	बालाघाट	08.05.2016	10.05.2016	2		
	अलीराजपुर	08.05.2016	12.05.2016	4		
05 / 2016	बडवानी	08.06.2016	10.06.2016	2		
06 / 2016	वल्लभ भवन	08.07.2016	11.07.2016	3		
	सिंगरौली	08.07.2016	11.07.2016	3		
07 / 2016	भोपाल	08.08.2016	10.08.2016	2	-	-
	सिटी जबलपुर	08.08.2016	10.08.2016	2	-	-
	सीहोर	08.08.2016	09.08.2016	1		
	उज्जैन	08.08.2016	09.08.2016	1		
	रायसेन	08.08.2016	09.08.2016	1		
	हरदा	08.08.2016	09.08.2016	1		
08 / 2016	हरदा	08.09.2016	09.09.2016	1	-	-
09 / 2016	दतिया	08.10.2016	10.10.2016	2	-	-
	अलीराजपुर	08.10.2016	10.10.2016	2	-	-
	बडवानी	08.10.2016	10.10.2016	2	-	-
	नरसिंहपुर	08.10.2016	10.10.2016	2	-	-
	रायसेन	08.10.2016	10.10.2016	2	-	-
	सिंगरौली	08.10.2016	10.10.2016	2		
	झाबुआ	08.10.2016	13.10.2016	5	-	-
10.2016	बडवानी	08.11.2016	09.11.2016	1		
	बालाघाट	08.11.2016	09.11.2016	1		
	दतिया	08.11.2016	11.11.2016	3		
	उज्जैन	08.11.2016	17.11.2016	-	9	
	कटनी	08.11.2016	09.11.2016	1		
11 / 2016	हरदा	08.12.2016	09.12.2016	1	-	-
	खण्डवा	08.12.2016	09.12.2016	1		
	अलीराजपुर	08.12.2016	09.12.2016	1	-	-
	बडवानी	08.12.2016	09.12.2016	1	-	-
12 / 2016	छिंदवाडा	08.01.2017	09.01.2016	1	-	-
	धार	08.01.2017	09.01.2016	1	-	-
	दमोह	08.01.2017	09.01.2016	1		
	रायसेन	08.01.2017	09.01.2016	1		
	खरागोन	08.01.2017	09.01.2016	1		
	आगार मालवा	08.01.2017	09.01.2016	1		
	अनूपपुर	08.01.2017	09.01.2016	1		
	दतिया	08.01.2017	10.01.2017	2		
	खण्डवा	08.01.2017	10.01.2017	2		
	अलीराजपुर	08.01.2017	10.01.2017	2		
	हरदा	08.01.2017	18.01.2017	-	10	
	सिवनी	08.08.2016	09.08.2016	1		
	01 / 2017	हरदा	08.02.2017	09.02.2017	1	-
सिंगरौली		08.02.2017	09.03.2017	1		
अलीराजपुर		08.02.2017	13.02.2017	5		
02 / 2017	हरदा	08.03.2017	09.03.2017	1	-	-
	बडवानी	08.03.2017	09.03.2017	1		
	अलीराजपुर	08.03.2017	15.03.2017	-	7	
03 / 2017	दतिया	08.04.2017	10.04.2017	2		
	सिवनी	08.04.2017	10.04.2017	2		
	अलीराजपुर	08.04.2017	10.04.2017	2		
	छिन्दवाडा	08.04.2017	10.04.2017	2		
	विन्ध्याचल	08.04.2017	10.04.2017	2		
	बडवानी	08.04.2017	10.04.2017	2		
	बालाघाट	08.04.2017	11.04.2017	3		
	उमरिया	08.04.2017	12.04.2017	4		
				52	3	-

परिशिष्ट 1 (ब)

(पैरा-2.1)

वर्ष 2016-17 के दौरान कोषालयों से मासिक लेखों की प्राप्ति में विलम्ब को दर्शाती तालिका (दिनों में)

S.NO	NAME OF TR.	Apr-16	May-16	Jun-16	Jul-16	Aug-16	Sep-16	Oct-16	Nov-16	Dec-16	Jan-17	Feb-17	Mar-17
1	आगर मालवा	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2	अलीराजपुर	4	0	0	0	0	2	0	1	2	5	7	2
3	अनूपपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
4	अशोकनगर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	बड़वानी	1	2	0	0	0	2	1	1	0	0	1	2
6	बालाघाट	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
7	बैतूल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	भिण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	भोपाल	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
10	बुरहानपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	छतरपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	छिंदवाड़ा	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
13	दमोह	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
14	दतिया	0	0	0	0	0	2	3	0	2	0	0	2
15	देवास	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	धार	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
17	डिण्डोरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	गुना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ग्वालियर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	हरदा	0	0	0	1	1	0	0	1	10	1	1	0
21	होशंगाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	इन्दौर मैन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	इन्दौर सिटी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	जबलपुर मैन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	जबलपुर सिटी	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
26	झाबुआ	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
27	कटनी	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
28	खण्डवा	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
29	खरगोन	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
30	मण्डला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	मन्दसौर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	मुरैना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	मोतीमहल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	नरसिंहपुर	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
35	नीमच	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पन्ना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	रायसेन	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0
38	राजगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	रतलाम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	रीवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	सागर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	सतना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	सीहोर	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
44	सिवनी	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
45	शहडोल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	शाजापुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	श्योपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	शिवपुरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

S.NO	NAME OF TR.	Apr-16	May-16	Jun-16	Jul-16	Aug-16	Sep-16	Oct-16	Nov-16	Dec-16	Jan-17	Feb-17	Mar-17
49	सीधी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	सिंगरौली	0	0	3	0	0	2	0	0	0	1	0	0
51	टीकमगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	उज्जैन	0	0	0	1	0	0	9	0	0	0	0	0
53	उमरिया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
54	वल्लभ भवन	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
55	विदिशा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	विन्ध्याचल भवन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

परिशिष्ट 1 (स)

(पैरा-2.1)


क्रमांक	कोषालय	माह की संख्या जिसमें विलम्ब से प्राप्त हुआ	विलम्ब की अवधि
1	आगर मालवा	1	1-1
2	अलीराजपुर	7	1-7
3	अनूपपुर	1	1-1
4	अशोकनगर	0	0-0
5	बड़वानी	7	1-2
6	बालाघाट	3	1-3
7	बैतूल	0	0-0
8	भिण्ड	0	0-0
9	भोपाल	1	2-2
10	बुरहानपुर	0	0-0
11	छतरपुर	0	0-0
12	छिंदवाड़ा	2	1-2
13	दमोह	1	1-1
14	दतिया	4	2-3
15	देवास	0	0-0
16	धार	1	1-1
17	डिण्डोरी	0	0-0
18	गुना	0	0-0
19	ग्वालियर	0	0-0
20	हरदा	7	1-10
21	होशंगाबाद	0	0-0
22	इन्दौर मैन	0	0-0
23	इन्दौर सिटी	0	0-0
24	जबलपुर मैन	0	0-0
25	जबलपुर सिटी	1	2-2
26	झाबुआ	1	5-5
27	कटनी	1	1-1
28	खण्डवा	2	1-2
29	खरगोन	1	1-1
30	मण्डला	0	0-0
31	मन्दसौर	0	0-0
32	मुरैना	0	0-0
33	मोतीमहल	0	0-0
34	नरसिंहपुर	2	2-2
35	नीमच	0	0-0
36	पन्ना	0	0-0
37	रायसेन	3	1-2
38	राजगढ़	0	0-0
39	रतलाम	0	0-0
40	रीवा	0	0-0
41	सागर	0	0-0
42	सतना	0	0-0
43	सीहोर	1	1-1
44	सिवनी	2	1-2
45	शहडोल	0	0-0
46	शाजापुर	0	0-0
47	श्योपुर	0	0-0
48	शिवपुरी	0	0-0
49	सीधी	0	0-0

क्रमांक	कोषालय	माह की संख्या जिसमें विलम्ब से प्राप्त हुआ	विलम्ब की अवधि
50	सिंगरौली	6	1-3
51	टीकमगढ़	0	0-0
52	उज्जैन	2	1-9
53	उमरिया	1	4-4
54	व भवन	2	1-3
55	विदिशा	0	0-0
56	विन्ध्याचल भवन	1	2-2

परिशिष्ट 1 (द)
(पैरा-2.1)

वर्ष 2016-17 के दौरान कोषालयों से विलम्ब से प्राप्त लेखाओं का ग्राफ द्वारा विश्लेषण

No. Account Submitted in time	0
Only one or two Account submitted in time	0
More than two Account submitted in time	25
All Account in time	31



परिशिष्ट संख्या-2

(पैरा- 2.6)

कोषालयों द्वारा मासिक लेखे में अंकित आर.बी.डी.राशि तथा आर.बी.डी.पत्रक में दर्शित राशि में अंतर
(माह 3/2017 तक समायोजित)

स.क्र.	कोषालय	माह	नगद लेखा अनुसार कोषालय की राशि	आर.बी.डी. पत्रक अनुसार कोषालय की राशि	अंतर	
					6. डेबिट	7. क्रेडिट
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Badwani	05/13	630101238.00 Cr.	630101038.00 Cr.	00	200.00
2.	Dhar	12/13	840888713.00 Cr.	840888804.00Cr.	91.00	00
3.	Dhar	04/14	384475140.00 Cr.	384465140 .00 Cr.	00	10000.00
4.	Dhar	07/14	1034142074.00 Cr	1034160454.00Cr.	18380.00	00
5.	DisttTry. Jabalpur	09/14	539471486.00Cr	539501837.00Cr.	30351.00	00
6.	Harda	08/14	71535047.00Cr.	70739323.00Cr.	00	795724.00
7.	Harda	08/15	135309215.00 Cr.	135265452.00 Cr.	00	43763.00
8.	Narsingpur	07/14	350521233.00Cr	349225873.00Cr	00	1295360.00
9.	Raisen	02/14	378684994 .00Cr.	378383418.00 Cr.	00	301576.00
10.	Raisen	04/14	119130218 .00Cr.	119143193.00 Cr.	12975.00	00
11.	Raisen	07/14	141534481.00Cr	141536471.00Cr	1990.00	00
12.	Sehore	05/12	179003496.00 Cr.	195498337.00 Cr.	16494841.00	00
13.	Sehore	02/14	99398320.00 Cr.	99398445.00 Cr.	125.00	00
14.	Shivpuri	08/14	6504478753.00Cr.	655342311.00Cr	4863558.00	00
15.	Shivpuri	08/15	540900274.00 Cr.	540900282.00 Cr.	8.00	00
16.	Singroli	05/14	827254739.00 Dr.	826954739.00 Dr.	300000.00	00
17.	Tikamgarh	04/12	172513380.00 Cr.	172507972.00 Cr.	00	5408.00
18.	V.B. Bhopal	10/13	3037300261.00 Dr.	3035100261.00 Dr.	2200000.00	00
19.	V.B. Bhopal	04/14	6487006200.00 Dr.	6486779415.00 Dr.	226785.00	00
20.	V.B. Bhopal	04/15	1395938819.00 Cr.	1404238819.00 Cr.	8300000.00	00
21.	V.B. Bhopal	07/15	3058216866.00 Cr.	3143689866.00 Cr.	85473000.00	00
22.	V.B. Bhopal	10/15	1932695098.00 Cr.	1973306596.00 Cr.	40611498.00	00
23.	V.B. Bhopal	01/16	2029186213.00 Cr.	2114168213.00 Dr.	84982000.00	00
24.	Moti Mahal Gwalior	05/16	152877017.00 Dr.	152876017.00 Dr.	1000.00	00
25.	Ratlam	06/16	775128867.00 Cr.	775129867.00 Cr.	1000.00	00
26.	Neemuch	10/16	454406006.00 Cr.	454405606.00 Cr.	00	400.00
27.	Seoni	10/16	1030828632.00 Cr.	1030824463.00 Cr.	00	4169.00
28.	Datia	02/17	591842618.00 Cr.	591842348.00 Cr.	00	270.00
29.	Shivpuri	02/17	729506021.00 Cr.	730258745.00 Cr.	757724.00	00
30.	Harda	03/17	410251810.00 Cr.	410060038.00 Cr.	00	191772.00
	Total				244275326.00	2669292.00

परिशिष्ट-3
(पैरा-2.13)

कोषालयों द्वारा व्यक्तिगत जमा खातों के मासिक धन ऋण पत्रक प्रधान महालेखाकार कार्यालय को न भेजा जाना

माह	कोषालयों की संख्या	धन ऋण पत्रक न भेजने वाले कोषालयों के नाम
4/2016	03	भिण्ड, सिंगरौली, श्योपुर
5/2016	05	सतना, सिंगरौली, सीधी, श्योपुर, अलीराजपुर
6/2016	04	खरगोन, मंदसौर, डिण्डौरी, सीहोर
7/2016	01	बल्लभ भवन
8/2016	02	बल्लभ भवन, मंडला
9/2016	04	मुरैना, बल्लभ भवन, धार, रायसेन
10/2016	06	जबलपुर सिटी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, राजगढ़, शिवपुरी
11/2016	07	अनुपपुर, भिंड, छतरपुर, होशंगबाद, इन्दौर सिटी, इन्दौर जिला, जबलपुर सिटी
12/2016	06	भिंड, भोपाल, खंडवा, राजगढ़, रतलाम, सिवनी,
01/2017	13	गुना, ग्वालियर, खंडवा, खरगोन, रीवा, रतलाम, टीकमगढ़, शहडोल, शाजापुर, सिंगरौली, सीधी, वल्लभ भवन, जबलपुर सिटी
02/2017	12	अलीराजपुर, दमोह, दतिया, धार, गुना, जबलपुर, जबलपुर सिटी, नीमच, पन्ना, श्योपुर, बल्लभ भवन, विध्याचल भवन
3/2017	12	अनुपपुर, बैतूल, जबलपुर सिटी, झाबुआ, कटनी, मंडला, रतलाम, रीवा, सतना, शाजापुर, टीकमगढ़, वल्लभ भवन

परिशिष्ट संख्या-4

(पैरा-1.2)

मध्यप्रदेश स्थित कोषालयों/उपकोषालयों की सूची एवं निरीक्षण अवधि
जिनका निरीक्षण वर्ष 2016-17 में किया गया

स. क्र.	कोषालय	स. क्र.	उपकोषालय	निरीक्षण अवधि	निरीक्षण दिनांक
1	उज्जैन	1	महिदपुर	05/2014 से 02/2016	04.04.2016 से 14.04.2016
		2	तराना		
		3	नागदा		
2	रतलाम	4	आलोट	12/2013 से 03/2016	16.04.2016 से 28.04.2016
		5	जावरा		
		6	सैलाना		
		7	बाजना		
3	इंदौर सिटी	—	—	05/2014 से 04/2016	09.05.2016 से 14.05.2016
4	इंदौर जिला	8	देपालपुर	05/2014 से 04/2016	16.05.2016 से 24.05.2016
5	शिवपुरी	9	करेरा	08/2014 से 04/2016	26.05.2016 से 04.06.2016
		10	पिछोर		
		11	कोलारस		
		12	पोहरी		
6	दमोह	13	हटा	12/2013 से 05/2016	06.06.2016 से 14.06.2016
		14	तेंदूखेड़ा		
7	सतना	15	नागौद	04/2014 से 05/2016	16.06.2016 से 27.06.2016
		16	मैहर		
		17	अमरपाटन		
		18	रामपुरबघेलान		
8	उमरिया	—	—	02/2014 से 05/2016	29.06.2016 से 05.07.2016
9	सागर	19	खुरई	05/2015 से 06/2016	04.07.2016 से 14.07.2016
		20	बीना		
		21	रहली		
10	अलीराजपुर	22	जोबट	07/2013 से 06/2016	16.07.2016 से 23.07.2016
11	धार	23	बदनावर	07/2015 से 06/2016	25.07.2016 से 02.08.2016
		24	कुक्षी		
12	जबलपुर सिटी	—	—	09/2015 से 07/2016	08.08.2016 से 13.08.2016
13	जबलपुर जिला	25	सिहोरा	08/2015 से 07/2016	14.08.2016 से 24.08.2016
14	मण्डला	26	नैनपुर	09/2014 से 07/2016	08.08.2016 से 17.08.2016
		27	निवास		
15	नरसिंहपुर	28	गाडरवाड़ा	09/2014 से 07/2016	19.08.2016 से 31.08.2016
		29	करेली		
		30	गोटेगांव		
16	भिण्ड	31	गोहद	04/2014 से 08/2016	05.09.2016 से 17.09.2016
		32	लहार		
		33	मेहगांव		
		34	अटेर		
17	मुरैना	35	सबलगढ़	04/2014 से 08/2016	19.09.2016 से 29.09.2016
		36	अम्बाह		
		37	जौरा		
18	मोतीमहल	—	—	11/2014 से 09/2016	17.10.2016 से 22.10.2016
19	ग्वालियर	38	डबरा	10/2015 से 10/2016	04.11.2016 से 12.11.2016
20	आगरमालवा	39	सुसनेर	12/2014 से 09/2016	03.10.2016 से 10.10.2016
		40	नलखेड़ा		
21	राजगढ़	41	ब्यावरा	11/2014 से 09/2016	13.10.2016 से 26.10.2016
		42	नरसिंहपुर		
		43	सारंगपुर		
		44	खिलचीपुर		
		45	जौरापुर		

स. क्र.	कोषालय	स. क्र.	उपकोषालय	निरीक्षण अविध	निरीक्षण दिनांक
22	रायसेन	46	बेगमगंज	10/2015 से 10/2016	07.11.2016 से 19.11.2016
		47	सिलवानी		
		48	बरेली		
		49	गौहरगंज		
		50	गौरतगंज		
		51	उदयपुरा		
23	बैतूल	52	मुलताई	09/2015 से 11/2016	21.11.2016 से 30.11.2016
		53	भैंसदेही		
		54	शाहपुरा		
24	देवास	55	बागली	08/2015 से 10/2016	07.11.2016 से 19.11.2016
		56	खातेगांव		
		57	सोनकच्छ		
		58	कन्नौद		
25	सीहोर	59	आष्टा	08/2015 से 10/2016	21.11.2016 से 30.11.2016
		60	नसरुल्लागंज		
		61	बुदनी		
		62	इच्छावर		
		63	दोराहा		
26	रीवा	64	हनुमना	10/2015 से 11/2016	05.12.2016 से 14.12.2016
		65	मऊगंज		
27	सिंगरौली	66	देवसर	08/2014 से 11/2016	16.12.2016 से 24.12.2016
		67	चितरंगी		
28	छिन्दवाड़ा	68	सौंसर	01/2016 से 12/2016	02.01.2017 से 11.01.2017
		69	पांडुरना		
29	बालाघाट	70	बैहर	12/2015 से 12/2016	13.01.2017 से 24.01.2017
		71	वारासिवनी		
		72	कटंगी		
		73	लांजी		
30	बड़वानी	74	राजपुर	11/2015 से 12/2016	02.01.2017 से 11.01.2017
		75	पानसेमल		
		76	सैधवा		
31	खरगौन	77	बड़वाह	12/2015 से 12/2016	12.01.2017 से 25.01.2017
		78	भीकनगांव		
		79	कसरावद		
		80	महेश्वर		
		81	सनावद		
		82	सेगांव		
		83	मण्डलेश्वर		
32	विदिशा	84	नंटेरन	01/2016 से 12/2016	30.01.2017 से 14.02.2017
		85	सिरोंज		
		86	शमशाबाद		
		87	ग्यारसपुर		
		88	लटरी		
		89	कुरवाई		
		90	गंजवासौदा		
33	भोपाल जिला	91	बैरसिया	02/2016 से 01/2017	15.02.2017 से 23.02.2017
34	विन्ध्याचल भवन	—	—	02/2016 से 01/2017	06.02.2017 से 11.02.2017
35	वल्लभ भवन	—	—	02/2016 से 01/2017	13.02.2017 से 18.02.2017
36	आयुक्त कोष एवं लेखा म.प्र. भोपाल कार्यालय का निरीक्षण प्रतिवदेन			01/2015 से 02/2017	10.03.2017 से 21.03.2017

परिशिष्ट संख्या-5

(पैरा- 3.2.1)

निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रथम पालन प्रतिवेदन प्राप्त न होना अथवा विलंब से प्राप्त होने का विवरण

स. क्र.	कोषालय	निरीक्षण अवधि	निरी.प्रति.जारी दिनांक	पालन प्रति प्राप्ति दिनांक	विलम्ब/रिमाक
1	उज्जैन	05/2014 से 02/2016	06/05/2016	अप्राप्त	—
2	रतलाम	12/2013 से 03/2016	20/05/2016	27/03/2017	5 माह 6 दिन
3	नगर इन्दौर	05/2014 से 04/2016	09/06/2016	03/08/2016	2 माह 15 दिन
4	जिला इन्दौर	05/2014 से 04/2016	22/06/2016	17/01/2017	1 माह 3 दिन
5	शिवपुरी	08/2014 से 04/2016	27/06/2016	अप्राप्त	4 माह 21 दिन
6	दमोह	12/2013 से 05/2016	05/07/2016	21/12/2016	2 माह 5 दिन
7	सतना	04/2014 से 05/2016	19/07/2016	27/03/2017	2 माह
8	उमरिया	02/2014 से 05/2016	22/07/2016	27/03/2017	—
9	सागर	05/2015 से 06/2016	02/08/2016	अप्राप्त	2 माह 25 दिन
10	अलीराजपुर	07/2013 से 06/2016	12/08/2016	अप्राप्त	—
11	धार	07/2015 से 06/2016	19/08/2016	20/06/2017	—
12	नगर जबलपुर	09/2015 से 07/2016	06/09/2016	अप्राप्त	—
13	मण्डला	09/2014 से 07/2016	08/09/2016	07/03/2017	3 माह 18 दिन
14	जिला जबलपुर	08/2015 से 07/2016	20/09/2016	14/02/2017	—
15	नरसिंहपुर	09/2014 से 07/2016	23/09/2016	अप्राप्त	4 माह 15 दिन
16	भिण्ड	04/2014 से 08.2016	10/10/2016	अप्राप्त	—
17	मुरैना	04/2014 से 08.2016	14/10/2016	अप्राप्त	—
18	आगर मालवा	12/2014 से 09/2016	25/10/2016	अप्राप्त	—
19	मोतीमहल	11/2014 से 09/2016	11/11/2016	02/01/2017	—
20	राजगढ़	11/2014 से 09/2016	29/11/2016	27/02/2017	1 माह 10 दिन
21	ग्वालियर	10/2015 से 10/2016	09/12/2016	26/04/2017	—
22	रायसेन	10/2015 से 10/2016	19/12/2016	अप्राप्त	—
23	देवास	08/2015 से 10/2016	21/12/2016	अप्राप्त	—
24	सीहोर	08/2015 से 10/2016	21/01/2017	15/05/2017	4 माह 12 दिन
25	बैतूल	09/2015 से 11/2016	28/12/2016	25/07/2017	—
26	रीवा	10/2015 से 11/2016	12/01/2017	27/03/2017	—
27	सिंगरौली	08/2014 से 11/2016	23/01/2017	अप्राप्त	—
28	बड़वानी	11/2015 से 12/2016	02/02/2017	20/06/2017	—
29	छिन्दवाडा	01/2016 से 12/2016	07/02/2017	29.3.16	2 माह 15 दिन
30	बालाघाट	12/2015 से 12/2016	14/02/2017	अ25/07/2017	—
31	खरगौन	12/2015 से 12/2016	22/02/2017	अप्राप्त	—
32	विंध्याचल	02/2016 से 01/2017	09/03/2017	अप्राप्त	—
33	विदिशा	01/2016 से 12/2016	08/03/2017	अप्राप्त	—
34	वल्लभ भवन	02/2016 से 01/2017	17/03/2017	अप्राप्त	—
35	भोपाल	02/2016 से 01/2017	23/03/2017	0101/08/2017त	—
36	आयुक्त कोष एवं लेखा म. प्र. भोपाल कार्यालय का निरीक्षण प्रतिवेदन	01/2015 से 02/2017	13/04/2017	अप्राप्त	—

परिशिष्ट संख्या-6
(पैरा-3.3.1)
तीन वर्ष से अधिक समय तक अनाहरित पेंशन प्रकरण

स. क.	कोषालय	पेंशनर का नाम	पी.पी.ओ./जी.पी.ओ. क्रमांक	कोषालय में प्राप्ति दिनांक/जारी दिनांक
1.	उज्जैन	राजेन्द्र गौरे	08 / 11 / 01 / 0301	19.09.2008
		श्रीमती नीता जागीरदार	11 / 43 / 01 / 0141	15.07.2011
		स्व. श्री गेंदालाल	12 / 43 / 01 / डीपीओ / 013	19.01.2012
		लक्ष्मण राव	09 / 43 / 01 / 0101	24.03.2009
		एस.जी.शर्मा	05 / 43 / 01 / 0307	29.07.2005
2.	नरसिंहपुर	श्री एच.बी.बडकुर	0700000726	16.12.2005
3.	रायसेन	श्री मोहम्मद खान		
		श्री हरिशंकर गढ़वाल		
		श्री पन्नालाल ठाकुर		

परिशिष्ट संख्या-7

(पैरा - 3.3.2)

एक वर्ष से अधिक समय से अनाहारित पेंशन उपदान प्रकरणों की समीक्षा

क्र०	कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम	जी.पी.ओ./पी.पी.ओ.	कोषालय में प्राप्ति दिनांक/जारी दिनांक		
01.	उज्जैन	रमेशचंद्र प्रकाश सिसोदिया	10/43/01/0010	17.01.2010		
		स्व. श्रीमती लक्ष्मीबाई	11/43/01/0074	29.03.2011		
		स्व. स्वरूपाबाई खलासी	06/43/010251	26.07.2006		
		श्रीमती सुमन बैरागी	07/43/01/0334	29.09.2007		
		राजाराम जटिया	डी.डब्ल्यू.एस. 1310020240	08.01.2014		
		प्रहलाद अमरचिया	जे.एच.ए./012/190195	24.01.2013		
02	दमोह	श्री महबूब खान	08/05/99/0097	29.02.2008		
		श्री अहमद खान	1408200	22.09.2014		
		श्री डॉ कृष्णकांत पटैरिया	1408105	22.06.2014		
03	मण्डला	सत्यप्रकाश दीक्षित	14/23/020127	---		
04	नरसिंहपुर	स्व. श्री बेनी सिंह	पी.ओ.535010373	31.08.2005		
		श्रीमती माया आस्टिन लुइस	डी.पी.ओ. 1226010130	27.06.2012		
		श्री पुरुषोत्तम सिंह ठाकुर	डी.पी.ओ. 1226010137	29.06.2012		
05	बालाघाट	श्री यादवराव पटले	जी0पी0ओ014010200264	30.06.2014		
		श्रीमती रमनबाई कुर्वेती	जी0पी0ओ014010200280	07.04.2014		
		श्री शरद कुमार चौबे	जी0पी0ओ014010200504	12.06.2014		
		श्री महेन्द्र प्रकाश शर्मा	जी0पी0ओ014010200410	25.09.2014		
		श्री सुभाष राव	जी0पी0ओ014010200510	12.08.2014		
		श्री राम किशन कटरे	जी0पी0ओ01501020349	28.10.2015		
		श्री रघुलाल राउत	जी0पी0ओ01501020417	30.11.2015		
		श्री देवेन्द्र पुरी	जी0पी0ओ01501020477	14.12.2015		
		06	सतना	श्री प्रताप नारायण पाण्डे	074141650 (07जी.एम./650)	
				श्रीमती रामकली स्वीपर	07414989 (07 जी.एम./989)	
श्री रघुनाथ प्रसाद शर्मा	0432010784					
श्रीमती शांति बाई	जी एम 1066					
श्री चरण सिंह	09134010047					
श्री लालमणि सिंह	0918010023					
श्रीमती आशा शर्मा	डीपीओ/15/34017					
श्री रामस्वरूप पटेल	डीपीओ/14/340282					
श्री बलवीर सिंह	डीपीओ/14/340360					
श्री गया प्रसाद शर्मा	14060252					

परिशिष्ट संख्या-8

(पैरा-3.3.3)

राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्धारित अवधि के पश्चात भी उच्च दर पर परिवार पेंशन का भुगतान किया जाना

स.क्र.	कोषालय का नाम	पूर्व लंबित राशि रु.	निरीक्षण वर्ष 2016-17 की अधिक भुगतान की स्थिति		वसूली हेतु लंबित प्रगामी राशि रु.
			प्रकरणों की संख्या	राशि रु.	
1	उज्जैन	380472.00	3	1000269.00	1380741.00
2	दमोह	—	1	257378.00	257378.00
3	सतना	299985.00	2	603364.00	903349.00
4	मण्डला	257243.00	3	711019.00	968262.00
5	जिला जबलपुर	597460.00	1	311057.00	908517.00
6	नरसिंहपुर	1367644.00	1	253984.00	1621628.00
7	भिण्ड	155625.00	3	806749.00	962374.00
8	राजगढ़	868928.00	—	—	868928.00
9	ग्वालियर	—	2	95699.00	95699.00
10	रायसेन	477837.00	2	420833.00	898670.00
11	देवास	592802.00	—	—	592802.00
12	सीहोर	634108.00	—	—	634108.00
13	बैतूल	329319.00	2	647167.00	976486.00
14	रीवा	1432882.00	1	536688.00	1969570.00
15	छिन्दवाडा	439755.00	—	—	439755.00
16	बालाघाट	304148.00	—	—	304148.00
17	खरगौन	412293.00	1	62224.00	474517.00
18	विदिशा	333720.00	3	196452.00	530172.00
19	भोपाल	272829.00	1	343393.00	616222.00
	योग	9157050.00	26	6246276.00	15403326.00

परिशिष्ट संख्या-9

(पैरा-3.3.4)

पेंशनरों/परिवार पेंशनरों का न्यूनतम पेंशन राशि का भुगतान न किया जाना

स.क्र.	कोषालय	पेंशनरों की संख्या
1	उज्जैन	12
2	जिला इन्दौर	11
3	शिवपुरी	08
4	दमोह	03
5	सतना	06
6	अलीराजपुर	04
7	मण्डला	09
8	नरसिंहपुर	06
9	भिण्ड	10
10	मुरैना	01
11	राजगढ़	05
12	ग्वालियर	32
13	रायसेन	06
15	देवास	09
16	सीहोर	111
17	बैतूल	01
18	रीवा	15
19	बड़वानी	05
20	छिन्दवाडा	31
21	बालाघाट	20
22	खरगौन	02
23	भोपाल	14
	योग	321

परिशिष्ट संख्या-10

(पैरा-3.4(i))

सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान हेतु प्राप्त प्राधिकार पत्रों पर निर्धारित छःमाह की समयावधि में भुगतान न किया जाना

स.क्र.	कोषालय का नाम	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	रतलाम	5	934804.00
2	नगर इन्दौर	9	1954976.00
3	जिला इन्दौर	3	125221.00
4	शिवपुरी	12	1014289.00
5	दमोह	2	666160.00
6	सतना	1	712476.00
7	धार	2	207249.00
8	मण्डला	4	1712205.00
9	नरसिंहपुर	2	342739.00
10	भिण्ड	5	1256108.00
11	मुरैना	9	2524332.00
12	राजगढ़	2	480683.00
13	ग्वालियर	2	577250.00
14	रायसेन	26	6832186.00
15	देवास	5	187259.00
16	सीहोर	4	1254390.00
17	बैतूल	8	1400519.00
18	रीवा	6	1423171.00
19	सिंगरौली	4	2577966.00
20	बड़वानी	10	2778667.00
21	छिन्दवाडा	5	2145958.00
22	बालाघाट	7	801706.00
23	खरगौन	5	346890.00
24	विदिशा	5	829481.00
25	वल्लभ भवन	22	8472838.00
26	भोपाल	6	1324615.00
	योग	371	42884138.00

परिशिष्ट संख्या-11

(पैरा-3.5)

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार दो पासबुकों का संधारण न किया जाना

स.क्र.	कोषालय	स.क्र.	कोषालय
1	उज्जैन	13	देवास
2	शिवपुरी	14	सीहोर
3	दमोह	15	बैतूल
4	सतना	16	रीवा
5	उमरिया	17	सिंगरौली
6	सागर	18	बड़वानी
7	अलीराजपुर	19	छिन्दवाडा
8	मण्डला	20	बालाघाट
9	नरसिंहपुर	21	खरगौन
10	भिण्ड	22	विदिशा
11	मुरैना	23	भोपाल
12	आगर मालवा	24	रायसेन

परिशिष्ट संख्या-12

(पैरा -3.6)

वन/निर्माण प्रेषणों का प्रमाणीकरण न किये जाने वाले कोषालयों की सूची

स.क्र.	कोषालय का नाम	स.क्र.	कोषालय का नाम
1	शिवपुरी	6	देवास
2	सागर	7	रीवा
3	मुरैना	8	बालाघाट
4	आगर मालवा	9	विदिशा
5	रायसेन		

परिशिष्ट संख्या-13

(पैरा-3.7.1)

अदावाकृत राजस्व / प्रतिभूति जमा / अन्य जमा की राशि नियमानुसार शासन के खाते में व्यपगत न करना

स.क.	कोषालय का नाम	राशि
1	उज्जैन	3749571.00
2	रतलाम	532025.00
3	नगर इन्दौर	1619020.00
4	जिला इन्दौर	1298979.00
5	शिवपुरी	6783581.00
6	दमोह	20909815.00
7	सतना	698793.00
8	सागर	773574.00
9	अलीराजपुर	3855861.00
10	धार	8221163.00
11	नगर जबलपुर	13843406.00
12	मण्डला	2266657.00
13	नरसिंहपुर	428112.00
14	भिण्ड	2783048.00
15	राजगढ़	186510.00
16	ग्वालियर	1645756.00
17	रायसेन	2038077.00
18	देवास	6781298.00
19	सीहोर	630109.00
20	बैतूल	21478065.00
21	रीवा	434737.00
22	सिंगरौली	249972.00
23	बड़वानी	1411659.00
24	छिन्दवाडा	6422339.00
25	खरगौन	1372325.00
26	विंध्याचल	303780712.00
27	विदिशा	2855925.00
28	वल्लभ भवन	12127530.00
29	भोपाल	1533863.00
	योग	430712482.00

परिशिष्ट संख्या-14

(पैरा-3.7.2)

तीन वर्ष से अधिक समय से अप्रचलित निष्प्रभावी व्यक्तिगत जमा लेखों के कोषालयों की सूची

स.क्र.	कोषालय का नाम	राशि
1	उज्जैन	4091088.00
2	रतलाम	2047261.00
3	नगर इन्दौर	10078348.00
4	शिवपुरी	282316689.00
5	दमोह	4221042.00
6	सतना	2615648.00
7	उमरिया	139357.00
8	सागर	3434598.00
9	अलीराजपुर	307304.00
10	धार	63464108.00
11	नगर जबलपुर	14951130.00
12	जिला जबलपुर	4314675.00
13	नरसिंहपुर	1607227.00
14	भिण्ड	21703534.00
15	मुरैना	12879130.00
16	मोतीमहल	3881758.82
17	राजगढ़	80180.00
18	ग्वालियर	2425433.00
19	रायसेन	8624596.00
20	देवास	103994.00
21	सीहोर	1370084.00
22	बैतूल	7344268.00
23	रीवा	18581186.00
24	सिंगरौली	2008.00
25	बालाघाट	865465.00
26	खरगौन	97049851.00
27	विदिशा	4002592.00
28	वल्लभ भवन	112520486.00
	योग	681141282.00

परिशिष्ट संख्या-15

(पैरा-2.12)

व्यक्तिगत जमा लेखे के प्रशासकों से अवशेष सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त न होना

क्र.	कोषालय का नाम	खाता धारक की संख्या	प्राप्त किये गये अवशेष प्रमाण पत्रों की संख्या	वांछित अवशेष प्रमाण पत्र	क्र.	कोषालय का नाम	उप कोषालाय कुल	प्राप्त अवशेष प्रमाण पत्र	वांछित अवशेष प्रमाण पत्र
1	आगर मालवा	04	0	04	30	मण्डला	11	0	11
2	अलीराजपुर	06	06	0	31	मन्दसौर	14	0	14
3	अनूपपुर	10	0	10	32	मुरैना	15	0	15
4	अशोकनगर	04	03	01	33	मोतीमहल	08	0	8
5	बड़वानी	23	0	23	34	नरसिंहपुर	18	14	04
6	बालाघाट	12	0	12	35	नीमच	14	12	02
7	बैतूल	22	0	22	36	पन्ना	11	0	11
8	भिण्ड	14	0	14	37	रायसेन	27	0	27
9	भोपाल	11	0	11	38	राजगढ़	11	0	11
10	बुरहानपुर	09	09	0	39	रतलाम	22	0	22
11	छतरपुर	20	0	20	40	रीवा	09	0	09
12	छिंदवाड़ा	27	14	13	41	सागर	21	0	21
13	दमोह	07	0	07	42	सतना	11	0	11
14	दतिया	18	0	18	43	सीहोर	15	0	15
15	देवास	11	09	02	44	सिवनी	20	0	20
16	धार	17	15	02	45	शहडोल	13	0	13
17	डिण्डोरी	10	10	0	46	शाजापुर	18	10	08
18	गुना	08	05	03	47	श्योपुर	10	0	10
19	ग्वालियर	12	0	12	48	शिवपुरी	14	0	14
20	हरदा	10	0	10	49	सिंगरोली	09	0	09
21	होशंगाबाद	21	0	21	50	सीधी	12	0	12
22	इन्दौर मैदान	11	10	01	51	टीकमगढ़	10	0	10
23	इन्दौर सिटी	23	19	04	52	उज्जैन	16	0	16
24	जबलपुर मैदान	15	0	15	53	उमरिया	10	0	10
25	जबलपुर सिटी	05	0	5	54	विदिशा	22	0	22
26	झाबुआ	15	0	15	55	व. भवन	25	0	25
27	कटनी	12	0	12	56	विन्ध्याचल भवन	29	09	20
28	खण्डवा	12	0	12		कुल	415	45	370
29	खरगोन	25	25	0					
	कुल	394	125	269					
						कुल योग	809	170	639

परिशिष्ट संख्या-16
(पैरा- 3.10)

सिविल न्यायालय जमा खातों के न्यायालयीन अभिलेख, कोषालयीन अभिलेख एवं धन-ऋण पत्रक में अंतर

स.क्र.	कोषालय का नाम	न्यायालयीन अभिलेख के अनुसार शेष	कम्प्यूटर/धनऋण पत्रक अनुसार शेष	कोषालयीन अभिलेख के अनुसार शेष	अंतर की राशि
1	शिवपुरी	4323715.00	15424568.00	12365555.00	3059013.00
2	दमोह	00	8050820.00	1177406.00	6873414.00
3	सतना	00	50640835.00	50640835.00	00
4	उमरिया	00	1794520.00	1367468.00	427052.00
5	सागर	00	2280199.00	00	2280199.00
7	नरसिंहपुर	00	15835877.00	11967177.00	3868700.00
8	भिण्ड	00	6002164.00	5264457.00	737707.00
9	मुरैना	00	(-)909986.50	00	(-)909986.50
10	आगर मालवा	00	2530416.00	00	2530416.00
11	ग्वालियर	00	79103314.00	69427463.00	9675851.00
12	रायसेन	00	102403406.00	00	102403406.00
13	देवास	00	41804976.00	31448685.00	10356291.00
15	बैतूल	00	8105253.00	8105253.00	00
16	रीवा	00	12652071.00	12652071.00	00
17	सिंगरौली	00	3443785.00	3443785.00	00
18	बड़वानी	00	22663111.00	19965525.00	2697586.00
19	छिन्दवाडा	00	16309472.00	12171257.00	4138215.00
20	बालाघाट	00	5220631.00	5242082.00	(-)21451.00
21	खरगौन	3640404.00	9888149.00	10593859.00	(-)705710.00
22	विदिशा	00	8841817.00	6861257.00	1980560.00
23	भोपाल	00	180231966.00	180231966.00	00
	योग		593237350.00	442926101.00	150301249.00

परिशिष्ट संख्या-17

(पैरा-3.11)

व्यक्तिगत निक्षेप खातों/धन ऋण पत्रक अनुसार शेष एवं पुस्तक शेष/प्रशासक से प्राप्त वार्षिक प्रमाण पत्र अनुसार शेषों में अंतर

स.क.	कोषा./उपकोषा.	कोषालयीन अभिलेख/धन ऋण पत्रक अनुसार शेष	प्रशासक के प्रमाण पत्र अनुसार शेष/पुस्तक शेष अनुसार	अंतर
1	उज्जैन	2850297.00	2774430.00	108367.00
2	रतलाम	12435352.00	14475707.00	2672543.00
3	जिला जबलपुर	50197250.00	41073423.00	9851093.00
4	रायसेन	23343859.00	19471775.00	5387244.00
5	देवास	97833776.00	96891258.00	48011294.00
6	बड़वानी	20680635.00	23734821.00	(-)3262036.00
7	छिन्दवाडा	4548205462.00	820361407.00	(-)625126617.00
8	खरगौन	1349882.00	1043177.00	306705.00
9	विंध्याचल	316725.00	4013450.00	(-)3696725.00
	योग			698422624.00

परिशिष्ट संख्या-18

(पैरा-3.12(i))

वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना शीर्ष 8443-00-800 के अंतर्गत किये गये अनाधिकृत लेन देन

स.क.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	राशि जमा किया जाना	
		मर्दे	राशि
1	शिवपुरी	2	7832050.00
2	दमोह	1	5189010.00
3	सतना	2	24500.00
4	अलीराजपुर	1	37267.00
5	धार	1	6400.00
6	मण्डला	1	194524.00
7	आगर मालवा	1	204300.00
8	रायसेन	1	20810.00
9	सीहोर	1	5000.00
10	रीवा	2	434650.00
11	सिंगरौली	3	65025.00
12	भोपाल	1	800000.00
	योग		14813536.00

परिशिष्ट संख्या- 19

(पैरा-3.13.2)

खजांची/भण्डार लिपिक से प्रतिभूति राशि जमा कराया न जाना।

स.क.	कोषा./उपकोषा. का नाम	स.क.	कोषा./उपकोषा. का नाम
1	मण्डला	7	बैतूल
2	नरसिंहपुर	8	भोपाल
3	मुरैना	9	सतना
4	अगरमालवा	10	अलीराजपुर
5	मोतीमहल	11	छिन्दवाडा
6	रायसेन		

परिशिष्ट संख्या-20

(पैरा-3.13.3)

बहुमूल्य वस्तुओं के पैकेटों की निर्धारित समयावधि के पश्चात वापस न किया जाना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	लंबित पैकेटों की संख्या
1	उज्जैन	731
2	शिवपुरी	322
3	दमोह	374
4	सतना	803
5	उमरिया	192
6	सागर	613
7	अलीराजपुर	39
8	धार	53
9	मण्डला	425
10	नरसिंहपुर	163
11	मुरैना	341
12	आगर मालवा	120
13	मोतीमहल	146
14	ग्वालियर	78
15	रायसेन	350
16	देवास	172
17	सीहोर	286
18	बैतूल	140
19	रीवा	1193
20	सिंगरौली	300
21	बड़वानी	125
22	छिन्दवाडा	54
23	बालाघाट	04
24	खरगौन	74
25	विंध्याचल	115
26	भोपाल	566
	योग	7779

परिशिष्ट संख्या- 21

(पैरा-3.13.4)

कोषालय के दृढकक्ष में विभाग द्वारा रखे गये दोहरी चाबियों के पैकेट्स नियमानुसार वापस न होना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	लंबित पैकेटों की संख्या
1	उज्जैन	09
2	शिवपुरी	43
3	दमोह	29
4	सतना	32
5	उमरिया	36
6	सागर	20
7	अलीराजपुर	03
8	धार	12
9	मण्डला	25
10	नरसिंहपुर	21
11	भिण्ड	01
12	मुरैना	22
13	आगर मालवा	06
14	मोतीमहल	52
15	ग्वालियर	07
16	रायसेन	14
17	देवास	07
18	सीहोर	33
19	बैतूल	22
20	रीवा	36
21	सिंगरौली	08
22	बड़वानी	03
23	छिन्दवाडा	19
24	बालाघाट	17
25	खरगौन	42
26	विदिशा	17
27	भोपाल	180
	योग	716

परिशिष्ट संख्या-22

(पैरा- 3.14.1)

मुद्रांकों का निर्धारित सीमा से अधिक भण्डारण

स.क्र.	कोषालय का नाम	मुद्रांकों के अधिक भण्डारण की राशि		
		अदालती	गैरअदालती	योग
1	उज्जैन	—	10406917121.00	10406917121.00
2	जिला इन्दौर	—	6668570776.00	6668570776.00
3	शिवपुरी	—	289302525.00	289302525.00
4	दमोह	—	26865474.00	26865474.00
5	सतना	16790675.00	447364851.00	464155526.00
6	उमरिया	—	25494090.00	25494090.00
7	अलीराजपुर	—	449067400.00	449067400.00
8	धार	11679745.00	913979070.00	925658815.00
9	जिला जबलपुर	—	7233453831.00	7233453831.00
10	आगर मालवा	5049510.00	234186450.00	239235960.00
11	राजगढ़	596977.00	31055460.00	31652437.00
12	ग्वालियर	—	7426260160.00	7426260160.00
13	रायसेन	—	15121934.00	15121934.00
14	देवास	—	421120676.00	421120676.00
15	बैतूल	—	1362800558.00	1362800558.00
16	रीवा	9723286.00	—	9723286.00
17	सिंगरौली	—	162253160.00	162253160.00
18	बड़वानी	—	107988470.00	107988470.00
19	बालाघाट	140863168.50	12216365.00	153079533.50
20	खरगौन	—	3841545008.00	3841545008.00
21	भोपाल	—	3782409600.00	3782409600.00
22	योग	43840193.00	43857972979.00	43889596807.00

परिशिष्ट संख्या-23

(पैरा-3.14.2)

अप्रचलित मुद्रांकों का सुदृढ़ कक्ष में अनावश्यक रखा जाना

स.क्र.	कोषालय का नाम	मुद्रांकों का प्रकार	अंतिम लेन देन की तिथि	राशि
1	आगर मालवा	1-वाटर मार्क (व्हाइट) जिला कोषालय	22.02.2008	2500.00
		2- वाटर मार्क (व्हाइट) उपकोषालय सुसनेर	12.01.2001	2000.00
2	मातीमहल	हुण्डी	30.09.2016	50,69,358.00
3	राजगढ़	1- इन्श्योरेन्स	23.12.2013	10,02,0001.00
		2- स्पेशल एडेसिव	26.10.2007	9520.00
		3-वाटर मार्क	31.07.2009	9500.00
4	सीहोर	1- इन्श्योरेन्स पालीसी	12.11.2013	3800000.00
		2-मनोरंजन कर	18.12.2008	1293856.00
		3-रेवेन्यू मुद्रांक	19.05.2006	7680.00
5	रीवा	1-मनोरंजन स्टाम्प	19.10.1994	359520.00
6	विदिशा	1- मनोरंजन स्टाम्प	31.03.2007	643695.00
		2-शेयर ट्रान्सफर	29.09.2007	1598000.00
		3- वाटर मार्क (व्हाइट)	2012	225000.00
7	भिण्ड	मनोरंजन कर	6.8.1996	127856.00
8	नरसिंहपुर	जिला कोषालय नरसिंहपुर	6.11.2009	23000.00
		गोटेगाव	25.7.2003	1000.00
		उपकोषालय गाटर पारा	3.12.1996	116068.00
		योग		23308554.00

परिशिष्ट संख्या-24

(पैरा-3.14.3)

मुद्रांक विक्रेताओं को प्रदत्त कमीशन का तिमाही पत्रक कार्यालय आयकर आयुक्त को न भेजा जाना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम
1	उज्जैन	6	सीहौर
2	उमरिया	7	सिंगरोली
3	नरसिंहपुर	8	खरगौन
4	आगरमालवा	9	विदिशा
5	मोतीमहल		

परिशिष्ट संख्या-25

(पैरा- 3.14.4)

नान ज्युडिशियल मुद्रांकों के जारी होने की सूचना रजिस्ट्रार को न भेजने बावत्

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	निरीक्षण अवधि
1	उमरिया	02/2014 से 05/2016
2	रायसेन	10/2015 से 10/2016
3	देवास	08/2015 से 10/2016
4	सीहौर	08/2015 से 10/2016
5	बालाघाट	12/2015 से 12/2016
6	खरगौन	12/2015 से 12/2016

परिशिष्ट संख्या-26

(पैरा-3.14.5)

मुद्रांक पंजी (मैनुअल) एवं मुद्रांक पंजी (कम्प्यूटर) के शेष में अंतर

कोषालय का नाम	मुद्रांक पंजी (मैनुअल) अनुसार शेष	मुद्रांक पंजी (कम्प्यूटर) अनुसार शेष	अंतर
शिवपुरी	18976980.00	84253090.00	65276110.00
नरसिंहपुर	12073840.00	13185540.00	1111700.00
बैतूल	33386332.00	69973351.00	36587019.00
विदिशा	279705.00	280105.00	400.00
योग			102975229.00

परिशिष्ट संख्या-27

(पैरा-3.17.1)

पुराने अभिलेखों का विनष्टीकरण न करना

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय	स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय
1	उज्जैन	15	ग्वालियर
2	शिवपुरी	16	रायसेन
3	दमोह	17	देवास
4	सतना	18	सीहौर
5	उमरिया	19	बैतूल
6	सागर	20	रीवा
7	अलीराजपुर	21	सिंगरौली
8	धार	22	बड़वानी
9	मण्डला	23	छिन्दवाडा
10	नरसिंहपुर	24	बालाघाट
11	भिण्ड	25	खरगौन
12	मुरैना	26	विदिशा
13	आगर मालवा	27	वल्लभ भवन
14	मोतीमहल		

परिशिष्ट संख्या-28

(पैरा-3.17.2)

नमूना हस्ताक्षर गार्ड फाईल के संधारण में कमियाँ

स.क्र.	कोषालय / उपकोषालय	स.क्र.	कोषालय / उपकोषालय
1	शिवपुरी	12	रायसेन
2	सतना	13	देवास
3	उमरिया	14	सीहोर
4	सागर	15	बैतूल
5	अलीराजपुर	16	रीवा
6	मण्डला	17	सिंगरौली
7	नरसिंहपुर	18	बड़वानी
8	भिण्ड	19	छिन्दवाडा
9	मुरैना	20	खरगौन
10	आगर मालवा	21	विदिशा
11	मोतीमहल	22	भोपाल

परिशिष्ट संख्या-29

(पैरा-3.17.3)

मृत स्कंध पंजी का सत्यापन न किया जाना

स.क्र.	कोषालय / उपकोषालय	स.क्र.	कोषालय / उपकोषालय
1	उज्जैन	12	ग्वालियर
2	दमोह	13	रायसेन
3	सतना	14	देवास
4	उमरिया	15	सीहोर
5	सागर	16	बैतूल
6	अलीराजपुर	17	रीवा
7	मण्डला	18	सिंगरौली
8	नरसिंहपुर	19	बालाघाट
9	भिण्ड	22	खरगौन
10	मुरैना	21	विदिशा
11	आगर मालवा	22	भोपाल
		23	आयुक्त कोष एवं लेखा म.प्र.

परिशिष्ट संख्या-30

(पैरा-3.17.4)

सेवा पुस्तिकाओं के संधारण में कमियाँ

स.क्र.	कोषालय	प्रथम पृष्ठ की प्रविष्टियाँ प्रत्येक पांच वर्ष में कोषालय प्रमुख द्वारा सत्यापित नहीं	कॉलम संख्या 8 में कर्मचारियों के हस्ताक्षर नहीं हैं	अवकाश लेखा अपूर्ण है	अन्य
1	उज्जैन	हां		हां	हां
2	दमोह		हां	हां	हां
3	सतना		—	हां	हां
4	उमरिया		—	हां	हां
5	मण्डला			हां	हां
6	विंध्याचल			हां	हां
7	आयुक्त कोष एवं लेखा			हां	हां